संस्कृत के विकास
के लिए
दस-वर्षीय भावी योजना

विज़न

एवं

रोड मैप

(परिकल्पना एवं क्रियाविधि-पत्रक)

विषय वस्तु

1.	प्रस्तावना	3
2.	संस्कृत शिक्षा की वर्तमान स्थिति	4
3.	विज़न (परिकल्पना)	7
4.	विद्यालयी शिक्षा के लिये संस्तुतियां	8
5.	उच्च शिक्षा के लिए संस्तुतियां	11
6.	पारम्परिक शिक्षा के लिए संस्तुतियां–विद्यालय स्तर पर	16
7.	पारम्परिक शिक्षा के लिए संस्तुतियां–महाविद्यालय स्तर पर	18
8.	वेद विद्या हेतु संस्तुतियां	20
9.	वेद विद्या के विकास हेतु संस्तुतियां	23
10.	संस्कृति के विकास हेतु योजनाओं की संस्तुतियां	24
11.	अष्टादशी संस्कृत के विकास की निरंतरता हेतु अट्ठारह परियोजनाएं	26
12.	सामान्य संस्तुतियां	29
13.	समितियों का गठन	32

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

प्रस्तावना

संस्कृत के विषय में एक सर्व स्वीकृत मान्यता है कि यह केवल एक भाषा मात्र नहीं है। यह भारत की आत्मा और मेधा की मुखरता है। हमारे अतीत और वर्तमान के मध्य यह एक सेतु है। भारत की ज्ञान परंपरा की यह वाहक है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगले दस वर्षों में संस्कृत के विकास के लिए विजन एवं रोड़ मैप सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति के विचारार्थ विषयों का विवरण इस प्रकार है।

1. संस्कृत और वेद विद्या के लिए वर्तमान में संचालित योजनाओं का मूल्यांकन और संवीक्षा
2. विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में संस्कृत शिक्षा की स्थिति का अध्ययन और उसमें गुणात्मक सुधार के लिए उपाय सुझाना।
3. अगले दस वर्षों में संस्कृत के विकास हेतु परिकल्पना एवं कार्य योजना के सुझाव देना
4. संस्कृत को भौतिकी, रासायनिकी, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान तथा विधि आदि विषयों के साथ समेकन हेतु उपाय सुझाना
5. आधुनिक साधनों एवं नई प्रोद्योगिकियों की सहायता से संस्कृत शिक्षा प्रदान करने हेतु उपाय सुझाना

संस्कृत भाषा एवं साहित्य जीवन के सभी पक्षों पर आधारित ज्ञान का एक विशाल आधान है। इसमें विज्ञान और प्रोद्योगिकी, खगोलविद्या और स्थापत्य, चिकित्साविज्ञान और धातुविज्ञान, कृषि एवं वास्तुविद्या, गणित एवं प्रबंधन, अर्थशास्त्र और पारितंत्र आदि सम्मिलित हैं। संस्कृत अतीत और वर्तमान के समन्वयन, प्राचीन साहित्य की ज्ञान सम्पदा को समझने, अपनी बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा, नवाचार के नवीनतम उपायों की ख़ोज तथा भारत को ज्ञान आधारित विश्व में अग्रणी बनाने के लिए वर्तमान विश्व के आर्थिक परिदृश्य और ज्ञान-समाज के सन्दर्भ में भारत की आज सर्वाधिक अपरिहार्यता है।

तथापि न तो संस्कृत और संस्कृत साहित्य में निहित सार्वभौम ज्ञान कोष की ख़ोज हुई और न ही इसे समुचित रूप से प्रयोग में लाया गया है। संस्कृत बेशक लोगों की प्रिय और अभिजात्यता की भाषा तो बनी रही परन्तु इसे आपसी संवाद की भाषा बनाया नहीं बनाया गया और न ही केंद्र तथा राज्यों ने इसे अपनी नीतियों में प्राथमिकता दी। इन्हीं तथ्यों के आलोक में वर्तमान समिति के सदस्यों ने निजी संपर्क, पत्रों, बैठकों और सोशल मीडिया के माध्यम से उन संस्थाओं और व्यक्तियों से संपर्क करने का प्रयास किया जो संस्कृत शिक्षा से सम्बद्ध हैं, ताकि आगामी दस वर्षों में संस्कृत के विकास के लिए विज़न और रोडमैप बनाने हेतु उनके विचार प्राप्त किये जा सकें। मंत्रालय ने विगत की संस्तुतियां और प्रतिवेदन (रिपोर्टें) भी समिति को उपलब्ध कराये हैं। इस उद्यम से प्राप्त सभी सुझावों पर गहन विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि केवल महत्वपूर्ण, निष्पादन योग्य, गुणवत्ता संवृद्धिकारक एवं क्षमता निर्माण सम्बन्धी व्यापक एवं दीर्घकालीन प्रभावकारी उपायों की ही संस्तुति की जाये तथा विस्तृत जानकारी और क्रियान्वयन से सम्बंधित सुझाव मंत्रालय को अलग से प्रस्तुत किये जाएँ।

समिति का यह भी मानना है कि इस सन्दर्भ में कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से हो, इसीलिए विज़न हालांकि एक दीर्घकालीन भावी योजना का विवरण है, परन्तु कार्य योजना और संस्तुतियां प्रथम चरण में अगले तीन-चार

वर्षों और द्वितीय चरण में सात से दस वर्षों के लिए हैं।

किसी भी भाषा के स्थायित्व और विकास की छह आधारभूत आवश्कताएं हैं, इनमें 1) बोलना, 2) अनुदेश और शिक्षा, मनोरंजन, संचार तथा प्रशासन आदि में इसका प्रयग, 3) प्रचलित विषयों और समकालीन साहित्य में ज्ञानात्मक साहित्य का सृजन, 4) सतत शब्द सम्पदा संवृद्धि, 5) प्रोद्योगिकी का समावेशन, और 6) संक्षरण। इसी दृष्टिकोण से ये संस्तुतियां की गईं हैं तथा इनके क्रियान्वयन हेतु उन्हें इस रिपोर्ट में अलग-अलग शीर्षों के तहत रखा गया है, लेकिन समिति के लिए निर्धारित विचारार्थ विषयों को नजरंदाज नहीं किया गया है.

समिति ने संस्कृत की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया तथा यह निर्णय किया कि संस्तुतियों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उन्हें एक सन्दर्भ-संकेतक संक्षिप्त टिप्पणी सहित प्रस्तुत किया जाये।

समिति का यह विचार है कि इन प्रस्तावों की सफलता में संस्कृत विद्वानों की इच्छाशक्ति और प्रयास केंद्रीय हैं, इसी से सरकार की इस योजना को सुफलित किया जा सकता है। इस योजना का निहितार्थ, जैसा समिति ने समझा और ज्ञापित किया है, उसके अनुसार संस्कृत को संस्कृत माध्यम से व्यावहारिक और सार्थक रूप से पढ़ाने सम्बन्धी सभी पहलू, संस्कृत शिक्षण को एक स्मरणीय और संचित अनुभव बनाने के लिए सभी प्रचलित प्रवृत्तियों और विकास को समावेशित करने तथा संस्कृत को सरल और लोकप्रिय बनाने जैसे सभी कार्य ऐसे हैं जो सरकार की अपेक्षा पूर्णतः संस्कृत विद्वानों के सहयोग से ही हासिल किये जा सकते हैं। समिति का यह भी विश्वास है कि सरकारें तो अपना साहचर्य का कार्य पूरी शक्ति से अवश्य करेंगी परन्तु इसमें संस्कृत विद्वानों को स्वेच्छा से इस मौके का लाभ उठाते हुए कुछ अतिरिक्त श्रम से संस्कृत बिरादरी में एक ऐसा बदलाव लाना होगा जिससे कि संस्कृत के विकास को एक सशक्त प्रोत्साहन दिया जा सके।

संस्कृत शिक्षा का वर्तमान स्वरूप

अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न स्तरों पर संस्कृत अलग अलग अंकों के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। यदि केरल में संस्कृत को प्रथम कक्षा से पढ़ाया जाये तो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध 14,000 विद्यालय इसे दूसरी कक्षा से पढ़ाना शुरू करेंगे। उत्तराखंड में इसे तीसरे दर्जे से पढाया जाता है। अधिकांश राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संस्कृत को त्रिभाषा फार्मूले के अंतगत छठी से दसवीं कक्षा तक पढ़ाते हैं जबकि 11वीं तथा 12वीं में इसे दिवितिय वैकल्पिक भाषा के रूप में पढाया जाता है। कुछ राज्य इसे अपनी मातृभाषा के साथ एक सम्मिश्रित पाठ्यक्रम के रूप में भी पढाते हैं। ऐसा अनुमान है की कुल मिलकर लगभग पांच करोड़ बच्चे विद्यालयी स्तर पर संस्कृत पढ़ते हैं।

आज देशभर में विद्यालयी स्तर पर लगभग 5000 पारंपरिक संस्कृत पाठशालाएं और 1000 वेद पाठशालाएं हैं। केवल आठ राज्यों में ही संस्कृत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात संस्कृत शिक्षा निदेशालय हैं जबकि शेष राज्यों में कोई व्यवस्था नहीं है। वेद पाठशालाओं के लिए कोई बोर्ड नहीं है। फिर भी इनके अधीन लगभग तीन लाख बच्चे संस्कृत का अध्ययन करते हैं।

लगभग 120 सामान्य विश्वविद्यालय स्नातक और परा-स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत कार्यक्रम प्रदान करते हैं। 15 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। यद्यपि इन संस्कृत विश्वविद्यालयों से लगभग 1000 पारंपरिक महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, परन्तु इनमें से कई संस्कृत विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, और कई राज्यों में पारंपरिक संस्कृत महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने हेतु किसी सुस्पष्ट नीति का भी अभाव है। कुल मिलकर 10 लाख छात्र इस व्यवस्था (अव्यवस्था) में संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं।

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

आज 10 संस्कृत अकादमियां, 16 प्राच्य शोध संस्थान तथा संस्कृत में 60 के लगभग पत्र-पत्रिकाएं और प्रकाशनों के अलावा लगभग 100 गैर सरकारी संस्थाएं संस्कृत प्रोत्साहन में जुटी हुई हैं।

यद्यपि अधिकांश राज्य 11वीं तथा 12वीं के स्तर पर कला वर्ग के छात्रों के लिए संस्कृत प्रदान करते हैं, परन्तु जहाँ विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में संस्कृत बहुत ही कम राज्यों में उपलब्ध है, और जहाँ यह अध्ययन के विषय के रूप में उपलब्ध है भी, वहां केवल नाममात्र के लिए है, यहाँ संस्कृत अध्यापकों की उपलब्धता नहीं है। स्नातक और परा स्नातक स्तर पर भी यही रुख बराबर बना रहता है और इसीके परिणामस्वरूप आज संस्कृत और विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी में विसंबंधन की स्थिति है।

हालाँकि अधिकांश राज्यों ने 10वीं कक्षा तक त्रि-भाषा फार्मूला, 11वीं तथा 12वीं कक्षा तक द्वि-भाषा फार्मूला कार्यान्वित कर दिया है परन्तु अभी भी सीबीएससी, आईसीएससी तथा एनआईओएस आदि में त्रि भाषा फार्मूला केवल आठवीं कक्षा तक है जबकि 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए द्वि-भाषा और 11वीं तथा 12वीं केलिए एक-भाषा फार्मूला अपना रखा है। यह नियति है कि सरकारी संस्थान ही सरकार की अपनी नीतियों का अनुपालन नहीं करते हैं। और अब जबकि सीबीएससी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय आदि को नई पहल करने वाले संस्थान माना जाता है तो कई राज्य बोर्ड भी सीबीएससी, केवीएस, एनवी की नीति (नवोदय विद्यालय में संस्कृत विषय पढ़ाया ही नहीं किया जाता है) का अनुसरण करने लगे है, जिसके कारण संस्कृत और हिंदी के स्थान पर केवल अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाएँ ही पढ़ाई जा रही हैं। कहीं कहीं तो मातृभाषायें भी इसका शिकार हो रहीं हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत न पढ़ने के कारण स्नातक एवं परा स्नातक स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई देता है.

यह भी देखा गया है कि जब माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कम्प्युटर, पर्यावरण विज्ञान, कृषि, कौशल आदि विषय प्रारंभ किये जाते है तो उन्हें सामान्यतः किसी अन्य विषय की अपेक्षा संस्कृत के विकल्प रूप में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार संस्कृत ही नुक्सान उठाती है बलि का बकरा बनती है।

यह भी सच है कि ब्रिटिश काल में संस्कृत के अध्यापकों का वेतन अन्य विषय के अध्यापकों की तुलना में आधा ही होता था, जिसके कारण संस्कृत को लम्बे काल तक हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। आज भी अधिकांश राज्यों में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्राथमिक अध्यापकों के समान वेतन दिया जाता है जबकि स्नातक और परा स्नातक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापकों का वेतन दिया जाता है। यही कारण है कि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों में उत्तम मेधा के अध्यापक नहीं आ पाते हैं।

बिटिश शासन के पहले संस्कृत भाषा और संस्कृत पुस्तकों के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी जिसका प्रयोजन ज्ञान और चरित्र निर्माण था (सा विद्या या विमुक्तये—विद्या वही है जो (बंधनों से) मुक्त करती है)। जब ब्रिटिश शासकों ने प्रशासन के लिए अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू की तो नौकरियां हासिल करना उसका मुख्य ध्येय बन गया (—वही विद्या है जिससे नौकरी मिलती है, यह कथन चरितार्थ हो गया)। संस्कृत भाषा और संस्कृत शिक्षा की इस प्रकार उपेक्षा और ह्रास तीव्र से तीव्रतर हो गया। उन्हीं नीतियों के स्वाधीन भारत में अनुपालन से आज संस्कृत स्नातकों को अध्यापकों के लिए रोजगार के अति-सीमित विकल्प हैं। इस पर जब कभी संस्कृत के अध्यापक सेवानिवृत्त होते हैं तो रिक्त पद शायद ही कभी भरे जाते हों। इस प्रकार संस्कृत पढ़े लिखे कम ही छात्र बच जाते हैं जिससे नौकरी के अवसर भी प्रभावित होते हैं। संस्कृत के प्रति यह दुश्चक्र सतत चलता रहता है। आज संस्कृत स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा एवं पारंपरिक शिक्षा हेतु छात्र विद्यालयीन शिक्षा से ही आते हैं। विद्यालयी शिक्षा ही इन दोनों वर्गों के लिए रोजगार प्रदान करती है। दुर्भाग्य से विद्यालयी शिक्षा का सबसे उपेक्षित क्षेत्र संस्कृत शिक्षा है।

जब से ब्रिटिश शासकों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की तब से आज तक संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य 'संस्कृत साहित्य को समझना, और उसका अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओँ में अनुवाद करना' ही था और आज भी है। इसी नीति के तहत सदियों पुराना भाषा शिक्षण का फॉर्मूला, 'व्याकरण अनुवाद पद्धति' संस्कृत भाषा पर भी लागू कर दिया गया। इस तरीके को पूरे विश्व में नकार दिया गया है परन्तु केवल संस्कृत के लिए इसे आज भी लागू रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप; 1) हजारों संस्कृत की पुस्तकों के अनुवाद हुए जिससे इसके प्रति लोगों की जागरूकता और इसके महत्त्व का तो पता लगा है, परन्तु 2) ल ा े ग केवल अनुवाद ही पढ़ते हैं, 3) अन्य भाषाओँ के साहित्य ने तो समृद्धि पाई है, परन्तु संस्कृत का भला नहीं हुआ, 4) रट्टा पढ़ाई, शब्द परिवर्तन (विभक्ति-योजन) का स्मरण और नियमबद्ध भाषा शिक्षण के कारण ऐसी धारणा बनी कि संस्कृत शिक्षण अत्यंत दुष्कर कार्य है, इस सब के परिणामस्वरूप 5) आज देश के अधिकांश संस्कृत अध्यापकों ने संस्कृत के विषय में तो पढ़ा है परन्तु संस्कृत नहीं पढ़ी.

विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा पारंपरिक शिक्षा में लगभग पांच लाख संस्कृत अध्यापक होंगे। इनमें से अधिकांश 'व्याकरण अनुवाद पद्धति से शिक्षित होने के कारण संस्कृत की समझ तो रखते हैं परन्तु संस्कृत में संभाषण नहीं कर सकते हैं। संस्कृत से अन्य भाषाओँ में अनुवाद कर सकते हैं परन्तु संस्कृत में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। संस्कृत कक्षाएं तो होती हैं परन्तु उनमें संस्कृत माध्यम से पढ़ाई नहीं होती, संस्कृत विभागों में संस्कृत भाषा के माध्यम से आपसी संवाद नहीं होता, संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी संस्कृत को संवाद भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। इसी प्रकार संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत भाषा 'संवाद' माध्यम के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती। यह अलग बात है कि आज कुछ समर्पित गैर सेवीय संगठनों, पूर्णतः निष्ठित संस्कृत अध्यापकों और प्राध्यापकों के प्रयासों से संस्कृत में दैनंदिन-क्रियाकलापों, कक्षाओं तथा कार्य स्थलों पर संस्कृत में संभाषण हो रहा है.

किसी भी भारतीय भाषाओँ के छात्र को संस्कृत सीखना कोई नई भाषा सीखना नहीं है क्योंकि सभी भारतीय भाषाओँ में 60-70 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। इनमें से 20 प्रतिशब्द अनुमानतः संस्कृत शब्द हैं अथवा संस्कृत से उद्धृत हैं (तत्सम अथवा तद्भव शब्द है)। अधिकांश भारतीय भाषाओँ का आधरभूत संरचनात्मक ढांचा भी संस्कृत से पर्याप्त सामंजस्य रखता है। भारतीय भाषाओँ की आथी और शैली सम्बन्धी विशिष्टताएं भी संस्कृत से सादृश्यता रखती हैं। पारिवारिक और सामुदायिक मेल मिलाप के अवसरों पर भी शिक्षार्थियों का संस्कृत से परिचय होता रहता है।

सभी विदेशी भाषाएँ किसी लक्ष्य भाषा के माध्यम से ही पढ़ाई जाती हैं। प्रत्येक भारतीय भाषा अपनी ही भाषा में पढ़ाई जाती हैं। नर्सरी से परा स्नातक पाठ्यक्रमों तक किसी भी भाषा के उत्तर उसी भाषा में लिखे जाते हैं, इन्हें कभी भी अन्य भाषा में नहीं लिखा जाता है। इनमें संस्कृत एकमात्र अपवाद है और यही इसके ह्रास का मुख्य कारण है।

संस्कृत और मुख्य धारा शिक्षा में एक व्यापक अंतराल और विसंबंधन की स्थिति है। यही कारण है कि संस्कृत संस्थानों में अंतरविषयी अध्ययन को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सका है।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में समिति की यह ठोस राय है कि यह 1) समिति इस मुद्दे को केवल मोटे तौर पर हल करेगी जबकि इसके सूक्ष्म निदान के लिए इसका क्रियान्वन करने वाली प्राधिकृति

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

के लिए छोड़ देगी, 2)मुख्य रूप से यह, (क) संस्कृत शिक्षण को अधिक आकर्षक, प्रासंगिक और (ख) आधुनिक ज्ञान साहित्य और समकालीन साहित्य से प्रफुल्लित ऊर्जावान संस्कृत अध्ययन बनाने का यत्न करेगी जिससे एक जीवंत भाषा के रूप में इसकी संभावनाएं और व्यापक हो जायें, (ग) और संस्कृत छात्रों के लिए शोध एवं अनुसंधान तथा नवाचार के नए आयाम हासिल हो सकें, घ) ताकि संस्कृत स्नातकों के लिए रोजगार और नियोजन के अवसरों में वृद्धि हो सके।

विज़न

प्राचीन काल से ही संस्कृत भारतीय भाषाओँ के साथ सह-अस्तित्व में विकसित हुई है तथा भारत की एकता-अखंडता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे और अधिक पुष्ट करने की आवश्यकता है।

भारत के समावेशी प्रतिदर्श में संस्कृत साहित्य का विशिष्ट योगदान है जिसे संस्कृत को और लोकप्रिय बनाकर प्रबलीकृत करने की अनिवार्यता है।

संस्कृत का विकास इसे अनिवार्य बनाकर नहीं अपितु संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओँ के साथ सभी स्तरों पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखकर ही हो सकता है। इसे अनिवार्य बनाना एक प्रकार से इसे बहिष्कृत करना है जो इसके लिए हितबाधक होगा। आज छात्रवर्ग अपने लिए उत्तम विकल्प करने में प्रबुद्ध है.

संस्कृत विज्ञान, प्रोद्यागिकी, आयुर्विज्ञान, गणित, विधि, अर्थशास्त्र आदि की भाषा होने के साथ साथ प्रयोगशाला की भी भाषा रही है; दुर्भाग्यवश यह आज 'मंदिरों' की भाषा तक सीमित रह गई है। इसकी पूजा करने के स्थान पर आज इसकी वैज्ञानिक विशिष्टताओं को गहराई से जानने परखने की आवश्यकता है। भावना से नहीं अपितु विवेक से इसे प्रक्रियासांगत बनाने की अर्हता है। महर्षि अरबिंद ने जैसे कहा है 'वेद चिंतन का विषय हैं' और सर्वास्था समन्वयी संस्कृत को गहनता से जानने, शोध तथा प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसका उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यांकन होना चाहिए। अर्वाचीन और आधुनिक को सेतुबद्ध करने तथा पूर्व और पश्चिम के समस्त उत्तम चिंतन में समरसता की अपेक्षा है।

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्यनेयबुद्धिः।

–मालविकाग्निमित्रम् 1-2

(केवल प्राचीन होने से सब-कुछ महान नहीं हो जाता है और नहीं इसलिए बुरा कि वह अधुनातन है। विवेकीजन समुचित परीक्षण से अच्छे और बुरे का निर्धारण करते हैं। केवल मूर्ख ही परकथन पर विश्वास कर लेते हैं?)

महात्मा गाँधी ने अपने पुत्रों को लिखे अनेक पत्रों में संस्कृत शिक्षण के महत्त्व पर बल दिया था। उनका विचार था कि संस्कृत के बिना किसी भी भारतीय की शिक्षा वास्तव में अधूरी है। अनेक सम्मानित लोगों और अपने शिष्यों को लिखे अपनी पत्रों में स्वामी विवेकानंद ने भी संस्कृत और इसके महत्त्व पर विशेषरूप से बल दिया था। गाँधी जी और स्वामी विवेकानंद की इस परिकल्पना को फलीभूत करने के लिए हरसंभव प्रयत्न किया जाना चाहिए।

श्री नज़रुद्दीन अहमद आदि के साथ डा। भीमराव आंबेडकर भी संस्कृत को भारत की राजभाषा घोषित

करने सम्बन्धी प्रारूप संशोधन प्रस्ताव के हस्ताक्षरी थे। जब यह प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो डा.आंबेडकर और पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा के संस्कृत में संभाषण ने यह प्रत्यक्ष कर दिया कि संस्कृत बोलना वास्तव में कितना सरल है। आज वह समय आ गया है जब हमें भारत के प्रत्यके छात्र को संस्कृत बोलना सिखा देना चाहिए।

संस्कृत शिक्षण पद्धति में क्रमिक बदलाव की आवश्यकता है। 'संस्कृत माध्यम से संस्कृत शिक्षण' हेतु अध्यापकों का प्रशिक्षण और उनकी अपनी तैयारी केन्द्रीय है। अतः भाषा शिक्षण की नई शिक्षण पद्धति एवं उपागमों के अनुरूप अध्यापकों का प्रशिक्षण, तथा अध्यापन सामग्री निर्माण आदि अगले तीन से चार वर्षों में व्यापक स्तर पर किये जाने हैं। साथ ही प्रथम चरण में कुछ चयनित विद्यालयों में पायलट अग्रणी परियोजना भी संचालित की जानी है। इसके उपरान्त ही द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रतिवर्ष सभी विद्यालयों में 6-7 वर्षों के अंतराल में नई पद्धति और नई पाठ्य पुस्तकें समावेशित की जा सकती हैं।

समिति की इन संस्तुतियों के क्रियान्वन हेतु सभी संस्कृत संस्थानों और विभिन्न विभागों को अगले दस वर्षो के लिए अपनी शैक्षिक प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण करना होगा। ऐसी सतत मॉनिटरिंग - अनुवीक्षण व्यवस्था भी बनानी होगी जो कम से कम 6 माह में एक बार प्रगति की जांच करे।

ऐसी अपेक्षा है कि आगामी दस वर्षों में इन प्रयासों के फलस्वरूप 1) प्रत्येक संस्कृत छात्र सरल मानक संस्कृत में प्रवीण और दक्ष हो जायगा तथा अपने उत्तर संस्कृत में लिख सकेगा, 2) संस्कृत और आधुनिक विषयों, जैसे; विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थ शास्त्र, गणित आदि के साथ परस्पर समेकन पूर्ण हो जायगा, 3) संस्कृत में शोध के नये आयाम खुलेंगे, 4) संस्कृत में मौलिक लेखन के रूप में या अनुदित रूप में सभी विषयों का ज्ञान प्रधान साहित्य कोष उपलब्ध होगा, तथा 5) संस्कृत हो शिक्षा के अन्य आयामों में भी यथोचित स्थान-सम्मान हासिल हो जायगा।

विद्यालयी शिक्षा हेतु संस्तुतियां

1. सद्य स्थिति रिपोर्ट

क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद से सभी माध्यमिक और उच्च माध्यामिक शिक्षा बोर्डों के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में त्रि-भाषा फार्मूले और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में द्वि-भाषा फार्मूले के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक अद्यतन स्थिति सम्बन्धी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। रिपोर्ट में इन बिन्दुओं का उल्लेख भी अवश्य किया जाएरू 1) छात्रों को पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाएँ कौन-कौन सी हैं, 2) किस कक्षा से किस कक्षा तक इन्हें पढाया जा रहा है, 3) इसके लिए कुल कितने अंक आवंटित हैं, 4) संस्कृत और अन्य भाषाओँ के लिए सप्ताह में कुल कितनी कक्षाएं निर्धारित हैं, 5) और क्या उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत सभी तीनों विषयों, अर्थात कला, विज्ञान और वाणिज्य में प्रदान की गई है।

ख) रा.शै.अ.शि.प। से प्रत्येक राज्य में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों तथा सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अध्यापकों के भरे हुए एवं रिक्त पदों के आंकड़े इकट्ठे करने हेतु कहा जाये.

ग) रा.शै.अ.शि.प। सभी राज्यों में सभी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट बनाये जिसमेंरू वर्तमान में पढ़ाई जा रही संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें कब तैयार की गई थीं, इन पुस्तकों

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

का संशोशन कितनी बार और आखिरी बार कब हुआ, तथा अंतिम संशोधन के दौरान कौन कौन नवीन अभिकल्प-डिज़ाइन इनमें जोड़े गए।

घ) रा.शै.अ.शि.प। और राज्य शै.अ.शि.परिषदों को संस्कृत में पाठ्य पुस्तके निर्मित और संशोधित करने तथा संस्कृत माध्यम से संस्कृत शिक्षण जैसे महत श्रमसाध्य कार्य में संस्कृत के स्नातकोत्तर विभागों, तथा अपने क्षेत्र के संस्कृत विश्वविद्यालयों एवं संस्कृत वाचन और संस्कृत माध्यम से संस्कृत अध्यापन कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कहा जाये।

ङ) रा.शै.अनु.शि.प। तथा राज्य शै.अनु.शि। परिषदें यह भी सुनिश्चित करें कि सभी संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के लिए निःशुल्क ऑन-लाईन शिक्षण सुविधा उपलब्ध हो। इससे संस्कृत के विद्यार्थियों को ऑन-लाईन सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ साथ उन्हें अपने पाठ्यक्रमों की सामग्री और संस्कृत भाषा को अधिक रचनात्मक एवं प्रेरणात्मक माहौल में सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा।

च) रा.शै.अनु.शि.प। सभी राज्यों की संस्कृत की सभी पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन कर उनमें प्रयोग की गई साझा शब्दावली की एक सूची तैयार करे। विशेषज्ञों द्वारा किये गए अध्ययन और उनके मंतव्य के आधार पर पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए संस्कृत की न्यूनतम सामान्य शब्दावली की प्राथमिक सूची भी निर्धारित कर ली जाए। साथ ही आधारभूत अंग्रेजी के समान ही न्यूनतम शब्दावली और न्यूनतम संरचना युक्त एक सरल मानक संस्कृत का भी विकास कर लिया जाये ताकि अनुदेशन और सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में उसे प्रयोग में लाया जा सके।

2. 11वी तथा 12वी के सभी वर्गों को संस्कृत विषय प्रदान किया जाये

उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में सभी वर्गों, जैसे कि कला, विज्ञान और वाणिज्य आदि को संस्कृत विषय की सुविधा प्रदान की जाये। विज्ञान वर्ग के छात्रों को संस्कृत लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे इस भाषा से परिचित हो सकें और बाद में शोध अध्ययन क्रम में इसे अपना सकें। वर्तमान में विज्ञान समुच्चय में संस्कृत की सुविधा नहीं है अतः आयुर्वेद महाविद्यालयों में विज्ञान और संस्कृत पढ़े छात्र उपलब्ध नहीं होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस संबंध में सभी राज्यों और विशेषकर सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस, केवीएस तथा एनवी को दिशानिर्देश जारी करे.

3. संस्कृत का संस्कृत माध्यम से शिक्षण

संस्कृत को आज भी पश्चिमी सिद्धांतों के आधार पर सदियों पुरानी 'व्याकरण अनुवाद पद्धति' से पढ़ाया जा रहा है जबकि इसे लगभग नक्कार दिया गया है। यह पद्धति तभी लाभप्रद हो सकती है जब संस्कृत अधिगम का उद्देश्य संस्कृत साहित्य का विकास और अन्य भाषाओँ में उसका अनुवाद करना मात्र हो। आज संस्कृत को एक सक्रिय जीवंत भाषा और सम्प्रेषण के एक प्रभावी माध्यम के रूप में पढ़ाने की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य केवल प्राचीन संस्कृत साहित्य से मात्र परिचय प्राप्त करना नहीं अपितु समकालीन साहित्य निर्माण करना भी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसकी पद्धति, पाठ्य-पुस्तकों और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव करें। संस्कृत माध्यम से संस्कृत पढ़ाने का अर्थ यह है कि संस्कृत को सरल, अनुरंजक तथा प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण की समस्त आधुनिक पद्धतियों और भाषा शिक्षण के उपागमों को अपनाकर संस्कृत शिक्षण पद्धति को और अधिक समुच्चयी बनाया जाये।

विदित है कि पारंपरिक और अधुनातन शिक्षा पद्धति से शिक्षित अत्यल्प संस्कृत अध्यापकों को छोड़कर

शेष सभी ने व्याकरण अनुवाद पद्धति से ही संस्कृत अध्ययन किया है, अतः अधिकांश अध्यापकों में संस्कृत में संभाषण का कौशल विकसित नहीं हुआ है। संस्कृत शिक्षा के सुधार में बहु प्रतीक्षित और अपेक्षित प्रयासों में यही लोग सबसे बड़े मार्ग-अवरोधक बनेंगे। 1920 के आस पास जब तत्कालीन ब्रिटिश एजुकेशन काउंसिल ने व्याकरण अनुवाद पद्धित के स्थान पर प्रत्यक्ष पद्धति से अंगेजी पढ़ाने का निर्णय लिया तो उसका सर्वाधिक विरोध स्वयं अंग्रेजी के अध्यापकों ने ही किया, क्योंकि वे अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते थे। तब उस समय परिषद् को ग्रामर स्कूलों के अध्यापकों के लिए लगातार चार वर्षों तक अनुस्थापना पाठ्यक्रम संचालित करने पड़े उसके बाद ही प्रत्यक्ष पद्धति व्यवहार में आ सकी। यह भी पाया गया है कि बहुत सारे स्थानों पर अपनी कमियां छुपाने के लिए अध्यापकों ने यह भी बहाना बनाया की छात्र अपने अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं है और वे संस्कृत विषय केवल अंकों आदि के लिए ही लेते है। अतः अध्यापकों का प्रशिक्षण प्राथमिकता का विषय है, जिसे व्यापक स्तर पर लिया जाये।

चरणबद्ध रूप में संस्कृत माध्यम से संस्कृत अध्यापन को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित उपाय तुरंत करने की आवश्यकता है :

1. अगले तीन से चार वर्षों में माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पांच लाख संस्कृत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर प्लान (योजना),
2. अध्यापकों व छात्रों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रमों का निर्माण (तात्कालिक पाठ्यक्रम)
3. सभी राज्यों में पाठ्यपुस्तकों का परिशोधन
4. संस्कृत माध्यम से संस्कृत पढ़ाने की आवश्यकता से अध्यापकों और छात्रों का संवेदीकरण
5. वर्ष 2016-2017 में कुछ राज्यों में इस सन्दर्भ में कुछ अग्रणी पाठ्यक्रमों का मनो-अनुकूलन
6. संस्कृत अध्यापकों और छात्रों के लिए मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, डिजिटल, तथा ऑनलाईन संसाधनों / उपकरणों का यथेष्ट निर्माण

4. अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों का समावेश

संस्कृत में उपलब्ध भारतीय ज्ञान सम्पदा को विद्यालयी शिक्षा के सभी विषयों यथा विज्ञान, गणित, इतिहास आदि में सम्मिलित किया जाये। सामग्री के चयन के लिए एनसीईआरटी एक नामिका (पेनल) तैयार कर सकती है। एनसीईआरटी इस चयनित सामग्री को सम्बंधित विषयों में शामिल करे ताकि शिक्षाथी भारतीय ज्ञान सम्पदा से परिचित हो सकें तथा अपने अध्ययन एवं शोध में और गहरी दृष्टि प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार के कदम उठाने के लिए राज्य बोर्डों से भी कहा जाये।

5. सीबीएससी, आईसीएससी, एनआईओएस, केवीएस तथा नवोदय विद्यालय को भी त्रि-भाषा फार्मूले को माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्ष एवं द्वि-भाषा फार्मूले को उच्च माध्यमिक स्तर तक सख्ती से क्रियान्वित करने के लिए कहा जाये

हालाँकि अधिकांश राज्य बोर्डों ने त्रि-भाषा फार्मूले को 10वीं कक्षा तथा द्वि-भाषा फार्मूले को 11वीं और 12वीं कक्षा तक क्रियान्वित कर दिया है तथापि तीन राष्ट्रीय बोर्डों, सीबीएससी, आईसीएससी, एनआईओएस और उनके ही कारण केवीएस तथा नवोदय विद्यालय ने त्रि-भाषा फार्मूले को 8वीँ स्तर, द्वि-भाषा फार्मूले को 9वीं स्तर और एक-भाषा फार्मूले को 11वीं और 12वीं के स्तर पर क्रियान्वित किया है। यह नियति

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

है कि सरकार के स्वामित्वाधीन संस्थान उसकी ही नीति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसी देखा देखी में राज्य सरकारें भी केवल अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओँ में अध्ययन सुविधा प्रदान करने लगीं है, जिसका खामियाजा संस्कृत तथा हिंदी को भुगतना पड़ रहा है। कुछ राज्यों में तो मातृभाषायें भी इसका शिकार हो रहीं हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत अध्ययन न होने के कारण स्नातक और परा स्नातक स्तर पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव (दुष्प्रभाव) स्पष्ट है। अतः इन बोर्डों को यह निर्देश दिया जाये कि वे माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्ष अर्थात 10वीं कक्षा तक त्रिभाषा फार्मूला और 11वीं तथा 12वीं तक द्वि-भाषा फार्मूला सख्ती से लागू करें।

6. बीएड और डीएड में संस्कृत शिक्षण पद्धति प्रविधि

एनसीटीई अपने अधिकार क्षेत्र में सभी शैक्षिक संस्थानों को अपने प्रविधि पत्रों में संस्कृत को भी एक प्रपत्र के रूप में शामिल करने के लिए कह सकती है। इससे भावी संस्कृत अध्यापकों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रवेश लेने के लिए बड़ी मदद मिलेगी।

संस्कृत में डीएड–जिन राज्यों में संस्कृत प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है वहां योग्यताप्राप्त, प्रशिक्षित अध्यापकों की भारी मांग है परन्तु इस प्रकार का डीएड कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटीई को संस्कृत डीएड कार्यक्रम के दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट करे जिससे सरकारी और निजी संस्थान इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करने की पहल कर सकें। इससे सुयोग्य प्रशिक्षित संस्कृत अध्यापक उपलब्ध हो सकेंगे।

7. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के पाठ्यक्रम संस्कृत माध्यम से

माध्यमिक शिक्षा में एनआईओएस का अपना सशक्त आधार है। इसने माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत अंग्रेजी, उर्दू तथा हिंदी में कई कार्यक्रम विकसित किये हैं। यदि इन पाठ्यक्रमों को एनआईओएस संस्कृत माध्यम से उपलब्ध करता है तो उसमें छात्रों की काफी संख्या हो सकती है। इससे पारंपरिक शिक्षण से आये उन शिक्षार्थियों की मान्यता का प्रश्न भी ख़त्म हो जायेगा क्योंकि वे पहले से ही माध्यमिक शिक्षा मे अनुक्रमांकित होंगे। पहले से ही उपलब्ध सामग्री को केवल संस्कृत में अनूदित करना है। न्यूनतम प्रयास से यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है.

* * * * * * * *

उच्च शिक्षा के लिए संस्तुतियां

सामान्य शिक्षा

1. संस्कृत माध्यम से संस्कृत–ब्रिटिशकाल से जब अंग्रेजी शिक्षा भारत में प्रचलित हुई तभी से व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रचालन हुआ जिसके कारण संस्कृत का अहित हुआ। और जैसे कि किसी रिपोर्ट में लिखा है इससे संस्कृत सम्बन्धी कई भ्रांतियां फैलीं। इसका कुल नतीजा यह हुआ कि संस्कृत भाषा की अपेक्षा संस्कृत के छात्र संस्कृत अधिक पड़ते हैं और अज्ञानता के भ्रम में पड़ कर संस्कृत में संभाषण में असमर्थ रहते हैं।

आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अधिकांश अध्यापक इस बात से आशंकित रहते हैं कि यदि शिक्षण पद्धति में बदलाव किया गया तो छात्रों की संख्या में कमी हो जायगी। जबकि औसत दर्जे के लोगों का मत है कि छात्रों की संख्या तो वैसे ही कम हो रही है और संस्कृत विभाग बंद हो रहे हैं, अतः कम से कम संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाकर उसका संरक्षण किया जा सकता है और उसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है। व्याकरण अनुवाद पद्धति के समर्थक केवल भाषा के ज्ञान की अपेक्षा उसके साहित्य और शास्त्रों की समझ की आवश्यकता पर अधिक बल देते हैं तथा संस्कृत के छात्रों के निम्न स्तर का बहाना बनाते हैं। परन्तु संस्कृत के भीतर की समस्या के लिए बाह्य कारकों को दोष नहीं दिया जा सकता है। 'सामग्री' अधिक महत्वपूर्ण है या 'सामग्री का बर्तन', इस प्रश्न का स्वाभाविक उत्तर होगा दोनों। पर चूँकि पिछली दो शताब्दियों से हमने उस बर्तन (भाषा) को भुला दिया इसलिए आज सामग्री भी बड़ी तेज़ी से विलुप्त हो रही है।

लोग यह भी प्रश्न करने लगे हैं कि जब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आदि भाषाओँ की स्नातक और परा स्नातक की परीक्षाएं उन्हीं भाषाओँ में होती हैं तो संस्कृत की ही परीक्षा भिन्न भाषा में क्यों? जब बाक़ी भाषाओँ में पढना और लिखना मात्र एक वर्ष के भीतर ही सिखा दिया जाता है तो संस्कृत के साथ ऐसा क्यों नहीं है। इसलिए यह सर्वोपयुक्त समय है जब संस्कृत शिक्षण पद्धति को बदल दिया जाये।

समिति यह संस्तुति करती है कि इस सन्दर्भ में यूजीसी राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारित करे और 'संस्कृत संस्कृत माध्यम से' को क्रियान्वित वर्ष 2016-2017 से चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को लिखे। इसका उद्देश्य पांच या आठ वर्षों में लक्ष्य प्राप्ति है और इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय छात्रों के लिए आरंभी पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु अपने संकाय सदस्यों के लिए दो सप्ताह की कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि समुचित अध्यापन पद्धतियों पर चर्चा की जा सके जिससे संस्कृत संभाषण में उनका अपना कौशल विकसित हो सके। इस प्रयास से एक सरल मानक संस्कृत (स्वरूप) को समेकित करने की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी जिसकी चर्चा इस रिपोर्ट में पहले की जा चुकी है।

2. विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों के लिए संस्कृत–विज्ञान और वाणिज्य तथा अन्य विषयों के लिए भी स्नातक स्तर पर संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाये।

3. संस्कृत माध्यम से शोध अनुसंधान–एम.फिल, एम एड तथा पीएचडी भी संस्कृत माध्यम से प्रदान की जाये और शोध प्रबंध / लघु शोध प्रबंध (थीसिस / डिज़रटेशन) भी संस्कृत में ही लिखी जाये।

4. पुनश्चर्या कार्यक्रम–अनुस्थापना अथवा पुनश्चर्या कार्यक्रमों को भी संशोधित किया जाये ताकि संस्कृत में भाषाई दक्षता और सम्प्रेषण क्षमता में वृद्धि की जा सके। वर्तमान स्वरूप पूरी तरह से सामग्री पर केन्द्रित है।

5. भारतीय ज्ञान का समावेश–संस्कृत कृतियों में जो गणित, भौतिकी, रासयिनकी, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी और तकनीकी विषयों से सम्बंधित भारतीय ज्ञान भण्डार है उसे भी इन विषयों में समावेशित किया जाये।

6. विश्वविद्यालयों में परा स्नातक विभाग–विश्वविद्यालयों के परा स्नातक विभाग इन बिन्दुओं पर भी ध्यान देंगे:

1. संस्कृत विषय में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम प्रदान कर परिसर में संस्कृत को जनप्रिय बनाने पर ध्यान देना।
2. सभी संकायों के छात्रों को सीबीसीएस के तहत संस्कृत के व्यवहार कौशल एवं वैकल्पिक पाठ्यक्रम

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

प्रदान करना।

3. विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र के दायरे में स्नातक और विद्यालय स्तर पर संस्कृत की पाठ्यचर्या, अनुदेशन तरीकों और अध्यापक प्रशिक्षण के सुधार के लिए प्रयास करना।
4. नवीन ज्ञान सृजन के लिए परियोजनाओं के अंतर्गत आधुनिक कृतियों का संस्कृत में अनुवाद करना तथा भारतध्वनि पोर्टल पर उनका प्रकाशन।
5. दुर्लभ और अप्रकाशित संस्कृत पांडुलिपियों के संपादन और प्रकाशन के लिए परियोजनाओं का निर्माण।
6. मैन-ए-स्क्रिप्ट-मिशन' परियोजना के अंतर्गत पांडुलिपियों का यूनिकोड में डाटा निर्मित कर इ-सामग्री निर्माण करने हेतु छात्रों और विद्वानों की नियुक्तियां।
7. शोध छात्रों को अपने एम फिल और पीएचडी कार्यक्रमों के अनुषंग के रूप में पाण्डुलिपि संपादन कार्य को लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
8. संस्कृत में पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें 'मूक' के तहत प्रमाणन के लिए प्रस्तुत करना।
9. पाठ्यचर्या को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप आशोधित एवं अद्यतन बनाना।
10. शोध छात्रों को समकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक और वैज्ञानिक मुद्दों से सम्बंधित शोध विषय चयन हेतु परामर्श देना।

संस्कृत विश्वविद्यालय

1. परिसर में संस्कृत के लिए अनुकूल माहौल बनाना
2. सरल मानक संस्कृत में शास्त्र-अध्येता छात्रों को सरल मानक संस्कृत में शास्त्रों का अध्ययन कराना ताकि वे संकल्पनाओं को आसानी से समझ सकें और अपने विषयों में आत्मविश्वासी बनें।
3. तामिल यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, हिंदी विश्वविद्यालय आदि के समान संस्कृत माध्यम में इतिहास, सामाजिक-विज्ञान, मानविकी, गणित, योग के साथ विज्ञान और वाणिज्य विषयों में नवीन स्नातक और परा स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करना।
4. संस्कृत में भी बी एस सी और एम एस सी के समान योग, प्राचीन एवं आधुनिक गणित, अर्थ शास्त्र, प्रबंधन, विधि आदि विषयों के सामंजस्य सहित नए पाठ्यक्रमों का परिरूप बनाना और उन्हें प्रदान करना।
5. नए अपरिचित छात्रों को सभी प्रवेश स्तरों पर भाषा जानने के लिए बोलचाल की संस्कृत के प्रारंभी पाठ्यक्रम पदान किये जाएँ
6. एम फिल, एम एड और पी एच डी कार्यक्रम संस्कृत माध्यम से प्रदान किये जाएँ तथा थीसिस / डिज़रटेशन—शोध प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध भी संस्कृत में ही लिखे जाएँ।
7. संस्कृत भाषा में दक्षता, सम्प्रेषण कौशल क्षमता विकास और संस्कृत शास्त्र विषय की शैक्षणिक पद्धति में सुधार के लिए संस्कृत में अनुस्थापना और पुनश्चर्या कार्यक्रमों की रुपरेखा का पुनर्निमाण
8. सांध्यकालीन पाठ्यक्रम प्रदान कर अपने परिवेश में संस्कृत और शास्त्र अधिगम लोकप्रियता के लिए ध्यान देना

9. गणित, न्याय, मनोविज्ञान, समाज-कार्य, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी आदि आधुनिक विषयों में सीबीसीएस के अंतर्गत व्यवहार कौशल और एवं वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रदान करना।
10. ईघ्फ़एलयू (थ्म्स्न) कार्यक्रमों के अनुरूप अपने विस्तार कार्यक्रमों के तौर पर कार्यशालाओं के माध्यम से स्नातक और विद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्या, अनुदेश पद्धतियों और अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार के लिए प्रयास करना।
11. नवीन ज्ञान सृजन के लिए परियोजनाओं के अंतर्गत आधुनिक कृतियों का संस्कृत में अनुवाद करना तथा भारतध्वनि पोर्टल पर उनका प्रकाशन.
12. दुर्लभ और अप्रकाशित संस्कृत पांडुलिपियों के संपादन और प्रकाशन के लिए परियोजनाओं का निर्माण
13. मैन-ए-स्क्रिप्ट-मिशन' परियोजना के अंतर्गत पांडुलिपियों का यूनिकोड में डाटा निर्मित कर इ-सामग्री निर्माण करने हेतु छात्रों और विद्वानों की नियुक्तियां
14. शोध छात्रों को अपने एम फिल और पीएचडी कार्यक्रमों के अनुषंग के रूप पाण्डुलिपि संपादन कार्य को लेने हेतु प्रोत्साहित करना.
15. संस्कृत में पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें 'मूक' के तहत प्रमाणन के लिए प्रस्तुत करना
16. पाठ्यचर्या को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप आशोधित एवं अद्यतन बनाना
17. शोध छात्रों को समकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक और वैज्ञानिक मुद्दों से सम्बंधित शोध विषय चयन हेतु परामर्श देना।
18. सरल मानक संस्कृत में प्राचीन एवं शास्त्रीय कृतियों सम्बन्धी पाठ्य सामग्री तैयार करना एवं उसके इ-प्रकाशन के प्रयास
19. मूक माध्यम से विभिन्न शास्त्रीय विषयों में प्रवेशी पाठ्यक्रम प्रदान करना
20. छात्रों को अन्य विषयों के साथ संस्कृत में उपाधि कार्यक्रम करने की छूट देने के प्रावधान करना
21. संस्कृत की संगत सामग्री से सुसंबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन हेतु आईआईटी, एनआईटी और नजदीकी प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग करना
22. विदेशी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करना—विशेष केन्द्रों की स्थापना
23. संस्कृत शिक्षण के लिए इन्टर-फेस—अंतराफलक सुविधा संपन्न श्रेणीबद्ध प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उपाधि सहित/बिना ऑन-लाईन पाठ्यक्रमों का विकास एवं उपलब्धता।

शोध क्षेत्र

1. शोध की एक ऑन-लाईन सूची तैयार की जाये जिसमें विभिन्न विद्वानों/संस्थाओं द्वारा संपन्न की जा रही शोध परियोजनाओं की समग्र जानकारी दी गई हो। इस सूची को बनाने के काम के लिए किसी संस्थान को प्राधिकृत कर दिया जाये जिसे तकनीकी संस्थान का सहयोग प्राप्त हो.
2. अंतरविषयी शोध को बढ़ावा देना जिसके अंतर्गत आधुनिक विषय और शास्त्र शामिल हों।
3. सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंतरविषयी अध्ययन केन्द्रों की स्थापना जिनमें संस्कृत के साथ साथ भौतिकी, रासायनिकी, जीव विज्ञान, कृषि और पर्यावरण आदि विषय सम्मिलित हों.
4. संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध संगत ज्ञान पर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और संस्कृत संस्थानों के मध्य संयुक्त प्रयास.

5. पर्यावरण अध्ययन, लैंगिक अध्ययन, नैतिक मुद्दों, सामाजिक विज्ञान, तथा जीव विज्ञान आदि पर अपना ध्यान केन्द्रित करना.
6. नए शोध कार्यक्रमों के लिए अध्येतावृत्ति और संकाय सदस्यों के पदों की व्यवस्था

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1. 'संस्कृत, संस्कृत के माध्यम से', इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए अध्यापन पद्धतियों और मूलांकन प्रणाली में बदलाव के लिए विशेष कार्य योजना।
2. विभिन्न राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालयों की की स्थापना के लिए एक-मुश्त आधारभूत संरचना अनुदान
3. यू जी सी और एन ए सी सी (UGC/ NAAC) संस्कृत विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुदान तथा परियोजनाओं हेतु अलग से नियमों का निर्माण
4. सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों को समान रूप से कौशल विकास सम्बन्धी नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु विशेष अनुदान के लिए विचार करना और प्रोत्साहित करना
5. संस्कृत और शास्त्रीय विषयों के अनुस्थापना और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करना
6. संस्कृत के साथ अन्य आधुनिक विषयों में समकालिक दोहरी (द्वैत)-उपाधि अर्जित करने की अनुमति देना
7. अतिथि प्रोफ़ेसर प्रणाली और अध्येतावृत्ति द्वारा छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए आधुनिक विषयों के सञ्चालन हेतु संस्कृत विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान।
8. स्नातक / परा स्नातक स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित ऐच्छिक / वैकल्पिक पत्र प्रारंभ करना
9. कुछ विशेष अध्ययन शाखाओं, जैसे दर्शन, इतिहास और वास्तुशास्त्र आदि जैसे विषयों में स्नातक एवं परा स्नातक स्तर पर संस्कृत के समुचित ज्ञान की अर्हता पर बल।
10. संस्कृत संस्थानों के विद्वानों के लिए परा-पी एच डी हेतु विशेष अध्येतावृत्ति
11. 2002 में यू जी सी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सभी सामान्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'सरल संस्कृत बोलचाल केंद्र' स्थापित करने हेतु विशेष अनुदान
12. ऊपरवर्णित—सामान्य शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा शोध क्षेत्र आदि शीर्षकों के तहत की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु उपक्रम और सहायता उपलब्ध करना
13. उल्लिखित सभी संस्तुतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभावित प्रबंध करने हेतु विशेष समिति का गठन

ए आई सी टी ई (NCERT)

1. क्रेडिट अर्जन हेतु संस्कृत में चयनीय / वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रदान करना
2. तकनीकी संस्थानों में शोध और अध्यापन के लिए संस्कृत विद्वानों के लिए अध्येतावृत्ति / अध्यापकों के पदों की स्थापना
3. संस्थानों के अपने आधुनिक विषयों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों का समावेश
4. संस्कृत विश्वविद्यालयों और संस्कृत गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोगी शोध परियोजनाएं

5. 'शास्त्र और विज्ञान ' विषय पर कार्यशालाओं और गोष्ठियों का प्रायोजन।

आई सी पी आर, आई सी एच आर और आई सी एस एस आर (ICPR, ICHR, ICSSR)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन इन सभी परिषदों में एक पूर्ण कालिक संस्कृत प्रकोष्ठ न केवल वांछित है अपितु आवश्यक है ताकि उन विद्वानों से भी विचार विमर्श किया जा सके जो सदृश पश्चिमी सिद्धन्त और ज्ञान परंपरा में सिद्धहस्त हों। उन्हें यह कहा जाए कि वे अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में हो रहे शोध के विषय में प्रभावी रूप से अन्य विद्वानों के साथ परिचर्चा (अंतःक्रिया) करें।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास–नेशनल बुक ट्रस्ट

देशभर में अनेक गैर सरकारी संगठनों और संस्कृत अध्यापकों के सतत प्रयास से लाखों छात्र और सभी आयु वर्गों के लोग अपने दैनंदिन जीवन में संस्कृत का प्रयोग करने लगे हैं। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा आज संस्कृत हो चुकी है। इन वर्गों को आधुनिक विषयों तथा समकालीन समाज सम्बन्धी अध्ययन सामग्री संस्कृत माध्यम से अपेक्षित है अतः एन बी टी संस्कृत में भी पुस्तकें प्रकाशित कर सकती है।

इग्नू एवं अन्य मुक्त विश्वविद्यालय

इग्नू तथा अन्य मुक्त विश्वविद्यालय भी अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रम निर्माण कर छात्रों को ऑन-लाईन उपलब्ध करा सकते हैं। एम एच आर डी और यू जी सी इस सम्बन्ध में सभी राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को अपने स्नातक और परा स्नातक कार्यक्रमों के संभाग के रूप में संस्कृत में आवश्यकताधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने तथा सी बी सी एस के अंतर्गत संस्कृत एवं सम्बद्ध विषय प्रदान करने के लिए परिपत्र जारी कर निर्देश दे सकते हैं।

आई आई टी, एन आई टी, आई आई एस ई आर, आई आई एस सी, केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा ए आई सी टी ई अनुमोदित तकनीकी महाविद्यालय

सभी आई आई टी, एन आई टी, आई आई एस ई आर, आई आई एस सी, केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा ए आई सी टी ई अनुमोदित तकनीकी महाविद्यालयों में एक निष्ठित संस्कृत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाये ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न आधुनिक विषयों और संस्कृत साहित्य में उनके समदशी विषयों का अध्ययन संस्कृत माध्यम से किया जा सके। अथर्ववेद, वैशेषिक दर्शन आदि प्राचीन काल से ही विज्ञान-संकल्पनाओं के ज्ञान भण्डार के रूप में प्रख्यात हैं जिनका अब तक विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन होता रहा है। संस्कृत के सैंकड़ों ग्रंथों में सिद्धांत-शिरोमणि, वृक्ष आयुर्वेद, उपवन विनोद, मायामंत्र जैसे प्रमुख ग्रन्थ शोध और नवाचार के सन्दर्भ में बृहत् महत्त्व के हैं। प्रस्तावित प्रकोष्ठ परिसर में छात्रों के लिए विविध प्रकार संस्कृत पाठ्यक्रम प्रदान कर सकता है.

पारम्परिक शिक्षा हेतु संस्तुतियां–विद्यालयी स्तर पर

1. संस्कृत, संस्कृत माध्यम से

संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत साधन और साध्य दोनों है। शिक्षण के उपकरण के रूप में यह साधन है

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

जबकि उपलब्धि के रूप में साध्य। क्योंकि भाषा सीखना एक कौशल है, अतः यह सुविज्ञात तथ्य है कि किसी भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उसी भाषा के माध्यम से अध्ययन आवश्यक है। पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के सन्दर्भ में तो यह अवश्य ही लागू होता है। संस्कृत में प्रवीणता प्राप्त करने हेतु 'संस्कृत, संस्कृत माध्यम से' अपरिहार्य है क्योंकि अपने उच्च अध्ययन में छात्रों को शास्त्रों का अध्ययन केवल टीकाओं के माध्यम से ही करना होता है। इसके लिए संस्कृत के अध्यापकों और छात्रों में दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक है। संस्कृत विद्यालयों में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूपों में उनकी भाषा होनी चाहिए। पारंपरिक संस्कृत विद्यालय का प्रत्यक छात्र सरल शुद्ध संस्कृत में परिपक्व होना चाहिए। भाषा की दृष्टि से प्रत्येक संस्कृत अध्यापक को संस्कृत का सार्वजनिक वक्ता होना चाहिए। प्रत्येक संस्कृत विद्यालय को संस्कृत से गुंजायमान होना चाहिए।

2. अध्यापक प्रक्षिशण–1) बोलचाल संस्कृत में एक बार विशेष प्रशिक्षण, 2) सेवारत अध्यापकों के लिए नियमित प्रशिक्षण केंद्र.

संस्कृत को कक्षाओं तथा अध्यापक-कक्षों की बोलचाल की भाषा बनाकर संस्कृत अध्यापकों में आत्मविश्वास जगाना होगा। श्रेष्ठ अध्यापक बनने के लिए उनमें कौशल और तकनीक का विकास करना होगा। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष और सुविचारित प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा संस्कृत अध्यापको को संस्कृत में संभाषण कौशल एवं भाषा शिक्षण कौशलों प्रदान किया जायेगा। साथ ही प्रत्यके जिले में सेवारत अध्यापकों के लिए एक सुविधासंपन्न प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय डीआईईटी अथवा सरकार द्वारा चिह्नित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम सभी जिलों में इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करे।

3. पाठ्यचर्या सुधार, भाषा कौशल को महत्व देना, सम्प्रेषण और विशेष तौर पर संस्कृत में अधिकाधिक लेखन

संस्कृत अधिगम को निरंतर रोचक और छात्र-सुगम बनाने के लिए कियान्वित किया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

4. सभी संस्कृत छात्रों और अध्यापकों के लिए अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा–इस प्रयोजन के लिए श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रमों का निर्माण

वर्तमान परिस्थितियों में अधिगम आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिए सभी संस्कृत अध्यापकों और शिक्षार्थियों को कम्पूटर अनुप्रयोग का परिचय देना आवश्यक है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों में इसे पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बना दिया गया है परन्तु जैसे अपेक्षा थी उसके अनुरूप इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ और न ही इसे संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों तक अनुसारित किया गया। इसलिए एक श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रम और योजना निर्मित कर कार्यान्वित की जाए।

5. उक्त चार तथ्यों के सम्बन्ध में राज्यस्तरीय शिक्षा बोर्डो को निर्देश -

उपर्युक्त चारों क्रियात्मक विचार सफलतापूर्वक तब ही क्रियान्वित हो सकते हैं जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों के अधीनस्थ सभी सम्बंधित अभिकरण स्वयं को एतदर्थ समाविष्ट करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सम्बन्ध में अधीनस्थ संस्कृत संस्थाओं और राज्यों को निर्देश प्रदान कर सकता है।

6. परीक्षाओं के आयोजनार्थ, पाठशालाओं को सम्बद्धता और अनुदानार्थ केन्द्रीय संस्कृत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड -

देश भर में अनेक संस्कृत पाठशालाएं हैं। उनकी पारंपरिक शिक्षा को कभी पहचान नहीं मिली और न

ही वे इसके प्रति जागरूक रहे। इस पारंपरिक अधिगम का संरक्षण और आधिकारिक प्रत्यभिज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए, यह समिति दृढ़तापूर्वक परामर्श देती है की मा.सं.वि.मं. एक केन्द्रीय वेद एवं संस्कृत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करे, जो कि संस्थाओं को सम्बद्धता दे, परीक्षाओं का आयोजन करे, अनुदान उपलब्ध करवाए इत्यादि। यह बोर्ड एक स्वायत्त संस्था के रूप में मंत्रालय में अधीन यथायुक्त आधिकारिकता के साथ स्थापित होगा।

7. प्रत्येक राज्य में आधुनिक शिक्षा के समतुल्य परंपरागत शिक्षा के माध्यम से आदर्श संस्कृत माध्यम वाले विद्यालयों की स्थापना -

भारत में अंग्रेजों द्वारा वैदेशिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना से पूर्व संस्कृत ज्ञान की विविध शाखाओं और विषय विशेष के लिए निर्देश माध्यम के रूप में और व्यापक अर्थों में स्थापित रही है। एक शताब्दी से अधिक समय से पूर्व श्ओरिएण्टल विद्यालयश नामक विद्यालय प्रणाली थी जो कि अभी तक उन कुछ राज्यों में, जहाँ पाँच विषय वाली आधुनिक विद्यालय प्रणाली है के अंश के रूप में चल रही है। इस तरीके से प्राचीन ज्ञान को आधुनिकता के साथ साथ पूर्व और पश्चिम की शिक्षा के समन्वित रूप में संरक्षित किया जा रहा है।

यह समिति संस्तुत करती है कि प्रत्येक राज्य में आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाए, जहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के आधुनिक विषयों के साथ साथ संस्कृत माध्यम का भी समन्वय हो सके। यह योजना अधोलिखित कारणों से आवश्यक है

1. भाषा के रूप में संस्कृत के विकास के लिए
2. संस्कृत छात्रों के नियुक्ति अवसरों की वृद्धि के लिए
3. संस्कृत का मुख्यधारा में सम्मिश्रण करने के लिए

आधुनिक शिक्षा के शिक्षकों के समान संस्कृत शिक्षकों को भी वेतन देने हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश

अधिकांश राज्यों में परम्परागत क्षेत्र के संस्कृत शिक्षकों को अन्य विषय के शिक्षकों और भाषा शिक्षकों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों को संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में समकक्ष योग्यता रखने वाले शिक्षकों को उनके अनिवार्य स्तर और योग्यता के अनुसार आधुनिक शिक्षा के अध्यापकों के समान ही वेतन देने के लिए निर्देश दे सकता है।

8. पाठशालाओं में संस्कृत के नए विषयवस्तु और नए निर्देशन लाने के लिए तथा सामग्री तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक एजेंसी (संस्था) चिन्हित करना

शिक्षण सर्वदा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। एक शिक्षक एक सामग्री को एक ही प्रकार से सर्वदा प्रस्तुत न करें। शिक्षण में मनोरंजक और आकर्षक करने के लिए शिक्षण सम्बन्धी सामग्री होनी जरूरी है। अन्य विषयों में तथा भाषा शिक्षण में शिक्षण सम्बन्धी सामग्री बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में इससे सम्बन्धित विभाग भी हैं। प्रत्येक राज्य में ऐसी एक एक एजेंसी (संस्था) चिन्हित करनी जरूरी है। उपरोक्त कार्य के लिए यह एजेंसी एक पारम्परिक पाठशाला, विश्वविद्यालय अथवा एक N.G.O. भी हो सकता है।

9. संस्कृत शिक्षकों के आधुनिक पद्धति से भाषा शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक अखिल भारतीय संस्था–

शैक्षणिक दृष्टिकोण से भाषा शिक्षण में अनेक परिवर्तन देखे गए हैं। संस्कृत शिक्षक इस परिवर्तन से

सचेत नहीं हैं अथवा अनावृत नहीं हैं और एक ही पद्धति को अपनाते हैं जो कि अप्रचलित मानी जाती है। एक राष्ट्रस्तरीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण संस्था स्थापित होनी चाहिए जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी उपयुक्त संस्था के अधीन होनी चाहिए।

महाविद्यालय स्तर में पारंपरिक शिक्षण के लिए अनुशंसा

1. संस्कृत शिक्षण संस्कृत माध्यम से

आज संस्कृत महाविद्यालय स्तरीय छात्र उच्चस्तरीय शास्त्रीय पाठ्यक्रम को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनमें संस्कृत भाषा प्रवीणता का अभाव है। अतः संस्कृत पाठ्यक्रम संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाना एकमात्र विकल्प है, जो कि फलदायी है। अनुवाद पद्धति से भाषा शिक्षण फलप्रद नहीं है। संस्कृत भाषा में प्रवीणता ही छात्रों में आत्मविश्वास जगाएगी और वो वर्तमान परिस्थिति में अपने आपको ढाल सकते हैं। संस्कृत में अन्तर्निहित ज्ञान को जानने के लिए संस्कृत ही उनको योग्य बना सकती है। अतः संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाना, शास्त्र संरक्षण और प्रसार के लिए तथा संस्कृत की सीमा को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है।

2. शिक्षक प्रशिक्षण

क) कथोपकथन के लिए एकदा विशेष प्रशिक्षण

ख) सेवारत प्रशिक्षण के लिए स्थायी केन्द्र

पारम्परिक विद्यालय स्तर के जैसे महाविद्यालय स्तर में भी संस्कृत भाषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक बार प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए। सेवारत प्रशिक्षण के लिए तो स्थायी प्रशिक्षण केंद्र उपयुक्त सुविधा के साथ किसी विश्वविद्यालय के अधीन अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित होना चाहिए।

3. पाठ्यक्रम समीक्षण, भाषाकौशलों की महत्ता, सम्प्रेषणीयता और संस्कृत में अधिकाधिक विशेष लेखन–

ये सब उच्चस्तरीय शिक्षण संस्था के लिए अत्यावश्यक है। पाठ्यक्रम के समीक्षण, भाषा कौशल अभिवृद्धि और सम्प्रेषणीयता के लिए सतत प्रयास होने चाहिए। संस्कृत में समसामयिक लेखन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यू.जी.सी. और मा.सं.वि.मं. इस सम्बन्ध में सम्बद्ध संस्कृत विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को दिशा निर्देश दे सकते हैं।

4. सभी संस्कृत छात्रों एवं शिक्षकों को अनिवार्य कंप्यूटर प्रशिक्षण

कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, यांत्रिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक भाषा प्रक्रिया (छस्च्) यह सब अनिवार्य कंप्यूटर पाठ्यक्रम के रूप में सभी उच्च स्तरीय शैक्षिक संघटनों में होना चाहिए।

5. संस्कृत अध्यापकों को भाषा शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों और उपागमों में प्रशिक्षित करने हेतु एक अखिल भारतीय केंद्र की स्थापना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा यू जी सी सेवा-कालीन अथवा अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु एक राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर सकता है।

6. आधुनिक शिक्षा के समकक्ष वेतन अदायगी के निर्देश

पारंपरिक संस्कृत विद्यालयों के समान ही पारंपरिक संस्कृत कालेजों में भी वेतन विसंगति पाई जाती है जहाँ स्नातक स्तर के अध्यापकों को उच्च माध्यमिक स्तर का वेतन दिया जाता है जबकि परा स्नातक स्तर पर स्नातक स्तर का वेतन दिया जाता है। सरकार सभी राज्यों के 'समान कार्य समान वेतन' के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी करे। सम-स्तरीय वेतन पात्रता हासिल करने हेतु अध्यापकों को एक निश्चित अवधि में योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

7. संस्कृत माध्यम से नए विषयों का संचालन–नए पाठ्यक्रम चलाना

संस्कृत को लोकप्रिय और सुलभ बनाने के लिए संस्कृत माध्यम में नवीन विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करने कि आवश्यकता है। पारंपरिक संस्थान इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में संस्कृत माध्यम से नए पाठ्यक्रम प्रदान कर सकता है। इससे संस्कृत के सहज सम्प्रेषण की भाषा बनने के साथ साथ संस्कृत के छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगीं

8. मदन मोहन मालवीय अध्यापक एवं शिक्षण मिशन के अंतर्गत संस्कृत के लिए दो विशेष केन्द्रों की स्थापना

9. जिन राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु व्यवस्था नही हैं वहां संस्कृत महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने हेतु प्रयास

सम्बद्धता के प्रश्न से अभी भी महाविद्यालय जूझ रहें हैं। जिन राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहां इस प्रकार कि कठिनाईयां नहीं हैं पर अनेक राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं हैं। वहां संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता, पाठ्यक्रम सुधार, और परीक्षा के मुद्दों से सम्बंधित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये इन महाविद्यालयों को किसी केंद्रीय मानद अथवा नजदीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का प्रावधान होना चाहिए।

10. पारंपरिक क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा सम्बन्धी तात्कालिक सुधार तथा उपलब्धियों और वार्षिक प्रदर्शन के अनुवीक्षण हेतु एक अखिल भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा परंपरागत संस्थान राष्ट्रीय प्रदर्शन मूल्यांकन प्रकोष्ठ की स्थापना करे। यह प्रकोष्ठ पारंपरिक संस्थानों के प्रदर्शन की शैक्षिक लेखा परीक्षा करेगा तथा उनकी गुणात्मकता के सुधार के लिए उपाय संस्तुत करेगा और प्रदर्शन के आधार पर इन संस्थानों की पदानुक्रमता का निर्धारण करेगा।

वेद-विद्या हेतु संस्तुतियां

महर्षि सांदिपनी वेद-विद्या संस्कृत विद्या परिषत् (एमएसआरवीएसवीपी)

1. समिति का मत है कि वैदिक और संस्कृत अध्ययन का प्रारंभिक चरण प्रेरणास्पद, उत्साह्वधी और उल्लासपूर्ण होना चाहिए। संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा देना होगा ताकि भविष्य में संस्कृत तो अंततः अनुदेशन के माध्यम के रूप में विकसित किया जा सके। वैदिक और संस्कृत पाठशालाओं में आधुनिक शिक्षा के विषयों को संतुलित रूप में शामिल किया जाना भी अपेक्षित है। इन पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा अपनी प्राचीन ज्ञान परम्परा के प्रयोग से आधुनिक समाज की

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

समस्याओं का निदान करने वाली होनी चाहिए।

2. वेद-पाठशालाओं के विषय में भी यह पाया गया कि उनमें (वेद) पाठ सम्बन्धी कौशल के मानकीकरण के साथ-साथ संस्कृत और आधुनिक विषयों में श्रेणीबद्ध सामग्री का समावेश किया जाये ताकि छात्र वेद-भाष्यों के अध्ययन में समर्थ हो सकें। किसी समुचित स्तर पर वेदों के विकृति पाठ के अध्ययन पर भी यथेष्ट ध्यान दिया जाये। सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि वेद-पाठ अध्ययन समरूपी नहीं है, तथा पाठ सम्बन्धी क्षेत्रीय वैशिष्ट्य एवं वैदिक उच्चारण की अध्यन पद्धतियों में किसी हस्तक्षेप के बिना इस स्थिति के सुधार के उपाय भी किये जाएँ।

3. अर्थ परम्परा के अनुसारी गुरुकुलों के विभिन्न प्रचलित रूपों पर भी समिति ने विचार किया। समिति ने श्रमण परंपरा पर भी विचार किया। समिति का विचार था कि इन सभी गुरुकुलों में भी आधुनिक विषय संतुलित आधार पर प्रदान किये जाएँ।

4. समिति का विचार है कि इन संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की सीबीएससी जैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समकक्ष विधि-सम्मत मान्यता होनी चाहिए। समिति ने इस इस बात पर भी बल दिया कि इन संस्थानों को अध्यापक वेतन और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि के साथ साथ पुस्तकालयों आदि के विकास सम्बन्धी आधरभूत संरचना के लिए भी पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन विद्यालयी स्तर के पारम्परिक शिक्षा संस्थानों के मानकीकरण, सम्बद्धता, मान्यता और अधिप्रमाणन के लिए एक परीक्षा बोर्ड की स्थापना करे जो इस पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के विकास तथा पारंपरिक शैक्षिक संस्थानों में सामायिक दृष्टि से नवीन एवं नवाचारी प्रासंगिक कार्यक्रमों का समावेश कर एक ठोस आधार का निर्माण करे।

5. और जैसे कि वेद और संस्कृत एक दूसरे के अभिन्न एवं संपूरक संघटक हैं तथा वेद पाठशालाओं और संस्कृत पाठशालाओं के मान्यता और सम्बद्धता के प्रश्न भी देशभर में एक-समान हैं, अतः दोनों के समस्या निवारण के लिए किसी बोर्ड का गठन होना चाहिए। इस कार्य के लिए उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी वेद संस्कृत विद्या परिषद् को बोर्ड ऑफ इग्जामिनेशन परीक्षा बोर्ड का दर्जा दे दिया जाये तथा इसके उज्जैन स्थित मुख्यालय सहित इसका पुनः नामकरण 'महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत विद्या परिषद् (एमएसआरवीएसवीपी) के रूप में कर दिया जाये। संस्थान पहले से चलाये जा रहे कार्यक्रमों को जारी रखने के साथ साथ बोर्ड ऑफ इग्जामिनेशन के रूप में भी कार्य करेगा।

6. प्रस्तावित बोर्ड टप्प्, ग तथा ग्प्प् कक्षा के स्तर की परीक्षाएं आयोजित करेगा और ऊपर वर्णित पारंपरिक विद्यालयी शिक्षा विषयों में प्रमाणपत्र देगा। बोर्ड पारंपरिक शिक्षा के मानकीकरण और उसके आधुनिक एवं समकालीन उपयोगी विषयों के साथ विवेकपूर्ण समावेशन में भी मदद करेगा।

7. यहाँ एमएसआरवीएसवीपी के सहमती ज्ञापन में कांची कामकोटी पीठम् के परम श्रद्धेय परमाचार्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती जी की इच्छा और निर्देशनानुसार संयोजित अभूतपूर्व प्रावधानों का भी उल्लेख करना अपेक्षित होगा जिनमें उन्होंने वैदिक अध्ययन की शब्दरक्षा परंपरा, विलक्षण, चिर-प्रणीत आचार्यों, छात्रों और पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुप्रचलित सदाचार सुष्ठू अभिधानित वेद पाठशालाओं के महत्व पर जिस प्रकार बल दिया था वह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इसी प्रकार के वैदिक अध्ययन और परंपरा से ही वेदों के वाचन सम्प्रेषण को यूनेस्को की विश्व मौखिक धरोहर में मान्यता मिल पाई है। अतः सहस्राब्दियों इस पुरानी वेदाध्ययन शब्द परम्परा की शुचिता और

अखंडता के परिरक्षण पर सुविचार करना आवश्यक होगा।

8. प्रस्तावित बोर्ड में उल्लिखित पारंपरिक विविध ज्ञान प्रणालियों में, प्रत्येक में कम से कम एक संकाय सदस्य की नियुक्ति की संस्तुति की गई है। इनमें 1) शब्द परंपरा, वेद पाठशाला, 2) अर्थ परंपरा पाठशाला, 3) संस्कृत पाठशाला, 4) श्रमण परंपरा पाठशाला, 5) गुरुकुल सम्मिलित हैं।

9. पहले से ही स्थापित पाठशालाओं को सशक्त और विकसित करने के अलावा प्रस्तावित बोर्ड को नवीन प्रणाली की पाठशालाओं का सृजन करने की भी संस्तुति की गई है। इन पाठशालाओं में 1) वेद और संस्कृत मुख्य विषय तथा आधुनिक विषय गौण विषयों के रूप पढ़ाने वाली पाठशालाएं, 2) आधुनिक विषय मुख्य विषय और वेद तथा संस्कृत गौण विषयों के रूप में, 3) संस्कृत माध्यम से सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम विद्यालय, 4) वेद / संस्कृत के सांध्य विद्यालय जो वेद संस्कृत की तात्कालिक एवं सतत आवश्यकता है। ऐसा दृढ अनुमान है कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वेद संस्कृत शिक्षा में एक नए अध्याय का श्रीगणेश होगा।

10. प्रस्तावित बोर्ड उपरोक्त कार्यक्रमों की परीक्षा के अतिरिक्त अपने मुख्यालय पर कुछ अन्य विभाग भी स्थापित करेगा, जिनमें 1) इन पाठशालाओं के अध्यापकों कि सेवाकालीन प्रशिक्षण, 2) डी एड। तथा बी एड के समकक्ष इन्हीं विषयों में शैक्षिक विभाग की स्थापना और संचालन, 3) विकृति पाठ, वर्णसारक्रम, वेदांग आदि विषयों में अध्ययन के लिए विभिन्न पद्धतियों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए निष्ठित विभाग, 4) शोध, सामग्री निर्माण विभाग, संपादन और प्रकाशन विभागों के काम-काज आदि के दायित्व शामिल हैं। इन चारों ही कार्यों को आज देश में कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है।

11. समिति का यह भी मानना है कि प्रस्तावित बोर्ड वर्तमान पाठशालाओं के समग्र विकास में सहायक होगा और पाठशालाओं के प्रायोगिक विकास के लिए नवाचारी प्रयास भी करेगा। साथ ही यह आधुनिक विद्यालयी शिक्षा के प्रारूप पर आधारित एक सामानांतर वैकल्पिक भारतीय ज्ञान आधारित विद्यालयीन शिक्षा के विकास में सुगमक के रूप में भी काम करेगा।

12. समिति यह संस्तुति करती है कि उपरोक्त सभी पाठशालाओं के आवती और गैर आवती व्यय के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता अधिक उदारता के साथ उपलब्ध कराये ताकि देशज ज्ञान प्रणाली के विकास के अपने दायित्व को बोर्ड बखूबी निभा सके। इस उद्यम में संख्या की अपेक्षा ज्ञान और मानवता के लिए इसका भावी योगदान ही महत्वपूर्ण होगा।

13. समिति कि यह भी संस्तुति है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को पारंपरिक 'नियमाध्यनम्' पद्धति से, अर्थात घर पर ही वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं उन्हें भी सहायता दी जानी चाहिए।

14. समिति यह भी संस्तुति करती है कि समस्त वाचन और लिखित वैदिक ज्ञान प्रणाली को जन सुलभता के लिए ऑन - लाईन रूप में उपलब्ध बनाया जाये।

15. यह भी अनुभव किया गया है कि मंदिर अनुष्ठान और स्थापत्य अध्ययन लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रस्तावित एमएसआरवीएसवी इस कार्य को भी अपने हाथ में लेकर इस पारंपरिक ज्ञान प्रणाली पर नियमित पाठ्यक्रम प्रदान करे तथा अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे। इस विषय से संबन्धित प्राधिकृत व्यक्तियों अथवा लाईसेंसधारी विशेषज्ञों की एक सूची भी ऑन-लाईन उपलब्ध कराई जाये।

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

वेद विद्या के संरक्षण, संवर्धन और सातत्य के लिए उपाय

वेद ज्ञान के भण्डार हैं तथा इस पृथ्वी पर उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य हैं। अब तक इनका संचरण त्रुटिविहीन और समय पर खरी उतरी पद्धितयों से गुरु शिष्य प्रणाली में वाचन परंपरा से होता रहा है। वेदाध्ययन की इस मौखिक परंपरा का संरक्षण, संवर्धन और विकास हमारा दायित्व है और इसके लिए पारंपरिक वैदिक संस्थाओं और विद्वानों को सहयता, अध्येतावृत्ति दृश्य/श्रव्य टेपों आदि के निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियों को करने की आवश्यकता है। मौखिक सम्प्रेषण (वचन) की प्रणाली को बनाये रखना है और उसमें अनुतान परम्परा तथा मानवीय अभिकरण के माध्यम से उच्चारण का भी परिरक्षण होना चाहिए। वैदिक ज्ञान संपन्न छात्रों को शोध हेतु सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक प्रविधि के आधार से समृद्ध किया जा सके। इससे वेदों, और विशेषतः गणित, खगोलशास्त्र, मौसमविज्ञान, रसायन शास्त्र, जलगति शास्त्र आदि विषयों में निहित वैज्ञानिक जानकारी को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ समावेशित कर लिया जाये जिससे उनके और आधुनिक विदानों के मध्य एक मेल मिलाप स्थापित हो पाए। इस प्रयोजन के लिए वर्तमान वेद पाठशालाओं और वैदिक शोधरत शोध संस्थानों को पोषित किया जाना चाहिए।

भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाओं, विशेषकर जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें खासतौर पर विचार के केंद्र में रखने की आवश्यकता है। इसके लिए मानव निधान की पहचान कर उन्हें सहायता प्रदान करनी होगी। ग्रन्थ सामग्री की अवस्था, मुद्रित पांडुलिपियों, ग्रंथों, टीकाओं और व्याख्याओं आदि से सम्बंधित जानकारी के ज्ञान भंडार सृजित करने होंगे जहाँ देशभर में दृश्य / श्रव्य रिकार्डिंग की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध होगी। विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी, दर्शन, योग, शिक्षा, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान और वेद परम्परा आदि विषयों में वैदिक काल के प्राचीनतम समय से आधुनिक काल के वर्तमान तक वैदिक ग्रंथो और वैदिक साहित्य में उपलब्ध ज्ञान में शोध हेतु शिक्षाविदों और शोधार्थियों को प्रोत्साहित किया जाये तथा उन्हें आधारभूत संरचना और मानव श्रम शक्ति के रूप में अपेक्षित सहायता दी जाये।

वेद-विद्या के विकास हेतु योजनाओं को संस्तुति

क) वेद विद्या हेतु वर्तमान योजनायें

1) मौखिक-वाचन वेद विद्या परंपरा का रिकार्डिंग, डीजिटीकरण आदि के माध्यम से संरक्षण

2) वेद पाठशालाओं को वित्तीय सहायता

वर्तमान योजनाओं को जारी रखा जाये। तथापि कुछ वेद पाठशालाओं को सहायता के लिए बढ़ा लिया जाये। श्रेष्ठ शाखाओं में ही नई पाठशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

3. परम्परा अध्ययन योजना

अभिभावक वेद अध्ययन वेद परंपरा जहाँ पिता, दादा (दादा दादी और नाना नानी दोनों ही पक्षों से) और चाचा/ मामा (पिता और माँ की और से) के माध्यम से वेद अध्ययन होता है उन्हें भी वित्तीय सहायता देना। दुरूह (कठोर) शलाका परीक्षा द्वारा परीक्षण। प्रस्तावित माध्यमिक बोर्ड द्वारा परीक्षा। सफल होने पर प्रत्येक अन्तेवासी (आवासी छात्र) को टीटीडी योजना के समान एक लाख रुपये का अदायगी।

ख) प्रस्तावित नई योजनायें

1. मौखिक वेद परंपरा का डीज़िटीकरण–इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ ली जा सकती हैं–

1. यत्र-तत्र हो रहे डीजिटीकरण के प्रयासों को समेकन तथा अब तक अन-डीजिटीकृत शाखाओं का डीजिटीकरण।
2. यह कार्य किसी पूर्णतः कार्य समर्थ एजेंसी अथवा स्वयं सेवी संस्था / संगठन / औपचारिक अनौपचारिक संस्थान द्वारा किया जाये।
3. यदि यह कार्य किसी एजेंसी द्वारा किया जाता है तो अधिकतम 80% सहायता दी जा सकती है।
4. यदि सरकारी एजेंसी द्वारा यह कार्य किया जाये तो वास्तविक लागत दी जायगी

2. प्रकाशन के लिए अनुदान

इस योजना के तहत वेद से सम्बंधित प्रकाशन सहायता प्रस्तावित है।

3. वेदों को लोकप्रिय बनाने हेतु सहायता

इस योजना के अंतर्गत छोटी छोटी पुस्तिकाओं के प्रकाशन की योजना है.

4. वेद-समाज के लिए

इस योजना के अंतर्गत वेद-विद्या को समाज के सभी वर्गों तक एक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

5. विकृति पाठों का परिरक्षण–इस योजना के तहत वेद पाठियों को विभिन्न विकृति पाठों के अनुसरण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस योजना के तहत विकृति पाठों का डीज़िटीकरण भी कियाजायेगा।

6. वर्णसारक्रम का परिरक्षण–अध्ययन का यह विषय लगभग विलुप्त होने के कगार पर है अता इसे प्रोत्साहन एवं सशक्तीकरण की आवश्यकता है। वेदपाठियों इस अध्ययन क्षेत्र में गहन प्रशिक्षण दिया जायगा।

7. अखिल भारतीय वेद-प्रतियोगिताएं–इस योजना के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं के अलग अलग पहलुओं पर अखिल भारतीय स्तर पर वेद प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी। इन्हें राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जायेगा और वेद अधिगम के लिए गति प्रदान करने हेतु आकर्षक धनराशि के पुरस्कार भी दिए जायेंगे।

संस्कृत विकास के लिए योजनाओं की संस्तुतियां

क) वर्तमान योजनायें

भारत सरकार विगत तीन से भी अधिक शताब्दियों से नोडल एजेंसी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। यह समिति इन सभी योजनाओं की उपयोगिता का समर्थन करती और उन्हें जारी रखने के लिए सहायता के लिए भी सहमत है, परन्तु समिति का यह भी मानना है कि इन योजनाओं को और अधिक सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

करने की भी आवश्यकता है–

1. जिन योजनाओं में मानदेय का उपबंध हैं उसमें 50 से 100% तक की वृद्धि, क्योंकि जो मानदेय पहले संस्तुत था, वह 1) प्रारंभ से ही अत्यल्प था, 2) लम्बे काल से इसकी समीक्षा नहीं हुई है, 3) अन्य योजनाओं की तुलना में यह काफी कम है।

2. जिन योजनाओं के अंतर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधन है उनके सम्बन्ध में संस्तुति है कि–

    क) यदि यह अध्यापन पद से सम्बंधित है तो उसके लिए केंद्रीय विद्यालय स्तर पर दिया जाने वाले वेतन, और महंगाई भत्ते के समकक्ष निश्चित किया जाये।

    ख) यदि यह पद महाविद्यालय स्तर का है तो उसे संविदा आधार पर (अध्यापकों की) नियुक्त के समकक्ष तय किया जाये।

3. यदि आधारभूत संरचना से सम्बंधित अनुदान का विषय हो तो उसमें सीधे ही 50% कि वृद्धि कर दी जाये क्योंकि कुल मिलाकर दरों में हुई वृद्धि के अनुकूल यही उचित होगा।

4. यदि किसी राज्य में संस्तुति सम्बन्धि कोई प्राधिकृति नहीं है तो किसी प्राधिकृत का उसके लिए चयन किया जाये।

5. तमाम वित्तीय अंतरण इलेक्ट्रॉनिक अंतरण प्रणाली के अंतर्गत किये जाएँ।

6. यह भी देखा गया है कि वर्तमान योजना के अंतर्गत राष्ट्रपति पुरुस्कार के लिए आवेदनपत्रों पर विचार एवं उनकी जांच और चयनित सूची हेतु दिशा निर्देश और प्रविधि हाल ही में अपनी गई है, इसमें पुस्तकों और शोध प्रपत्रों के प्रकाशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रतिभाजन आदि मानक शामिल हैं। ये मानक उन विद्वानों के लिए तो न्यायोचित हैं जो विश्वविद्यालयों में सेवारत हैं परन्तु यह उन पारंपरिक विद्वानों के लिए हितकारी नहीं है जिनको इस योजना के अंतर्गत लाना मुख्य ध्येय है। अतः पारंपरिक संस्कृत विद्वानों और वेदपाठियों के सन्दर्भ में इस योजना को हटा लेना चाहिए। इसके स्थान पर शास्त्रार्थ सभाओं तथा वेदसभाओं में प्रतिभाजन, तथा शास्त्रीय और वैदिक अध्ययन के लिए प्रख्यात पीठों के रूप में विख्यात मठों और संगठनों से प्राप्त अभिसंस्तुती पर विचार किया जाना चाहिए।

7. बादरायण पुरस्कार के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत अब तक अप्रकाशित किसी दुर्लभ और कम से कम 200 पृष्ठों की पाण्डुलिपि का कृति की महत्ता के विषय में आलोचनात्मक टिप्पणी सहित सम्पादन और प्रकाशन विचारार्थ मुख्य आधार होना चाहिए। इससे अब तक अप्राप्त ज्ञान के नए भंडारों के प्रकाशन में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

ख) संस्कृत के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनायें

1. पूर्व-स्वाधीनता महाविद्यालयों को पुनरुद्धार

    1. वर्तमान में कार्यरत ऐसे महाविद्यालय जो स्वाधीनता पूर्व स्थापित हुए थे परन्तु अभावग्रत और जीर्ण-शीर्ण परिस्थितयों में है उनका पुनरुद्धार करना।

    2. इस प्रकार के महाविद्यालयों और शोध संस्थानों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन।

    3. गुणात्मक उच्च शिक्षा का पुनरुद्धार।

4. प्राच्य शास्त्र परम्परा के विद्वानों को लाभ पहुँचाना।

5. विशुद्ध शास्त्रीय परम्परा कि सहायता एवं संरक्षण।

6. इस प्रकार के महाविद्यालयों अथवा शोध संस्थानों को पांच वर्षों के लिए समुचित मानदेय सहित मानव संसाधन उपलब्ध कराना तथा यदि शैक्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन संतोषजनक पाया जाता है तो उसका और आगे प्रतिवर्धन।

2. पाठशालाओं की सहायता

इस योजना के अंतर्गत उन पाठशालाओं को एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा जो विषम परिस्थितयों और अभाव में भी अपने आपको बनाये रखने में समर्थ रहीं। प्रदत्त अनुदान इनकी आधारभूत संरचना और शैक्षणिक विकास के लिए व्यय की जाएगी।

3. पांडुलिपि पुस्तकालय और प्राच्य शोध संस्थान

सतत अभावों के कारण विलुप्तप्राय पाण्डुलिपि पुस्तकालयों और प्राच्य शोध संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए उनके कर्मियों और आवती खर्चो के लिए एक मुश्त अनुदान पर विचार। मानव संसाधनों में प्रति-निर्माण विद्वानों और संग्राहकों की सेवाएं पांडुलिपियों के 'की-इन' और 'डीज़िटीकरण' के लिए अत्यावश्यक होंगी। इन्हें प्रदर्शन कौशल नियम आधार पर बाहर से भी प्राप्त किया जा सकता है।

4. शास्त्र संरक्षण योजना

इस योजना के अंतर्गत शास्त्र शिक्षण को परिरक्षित करने हेतु पारंपरिक विद्वानों की विशेषज्ञता का सदुपयोग किया जायेगा। इस योजना को इन दो रूपों में क्रियान्वित किया जा सकता हैरू 1) औपचारिक शिक्षा प्रणाली में और 2) अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा।

क) औपचारिक शास्त्र अधिगम प्रणाली

इस योजना के अंतर्गत परा-आचार्य, सश्रम शास्त्र अधिगम परिपाटी का पुनरुद्धार किया जायेगा। विशिष्ट ज्ञान के विभिन्न ग्रंथो का किसी गुरु के अनुपालन में तीन वर्षों तक अध्ययन किया जायेगा। आवश्यकता हो तो इसके लिए औपचारिक उपाधि भी प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक विशेषज्ञ गुरु को समुचित मानदेय दिया जायेगा, साथ ही प्रत्येक शिक्षार्थी को भी यथायोग्य छात्रवृत्ति दी जायेगी। नियमित अध्ययन संस्थानों के गैर-विहित ग्रन्थ, गैर- विहित ग्रंथों के कुछ पाठ इस योजना के अंतर्गत पढाये जायेंगे, जैसे कि नव-आह्निक से आगे महाभाष्य का अध्ययन, सिंह लक्षण और व्याघ्र लक्षण का अधिगम। मीमांसा के सभी बारह अध्यायों का अधिगम और श्रौत ग्रंथों का अध्ययन आदि भी इसमें सम्मिलित होगा।

ख) अनौपचारिक शास्त्र अधिगम

इस श्रृंखला में गुरुकुल प्रणाली का पुनरुद्धार किया जायेगा और पारंपरिक रूप से स्व-स्थाने अधिवास करने वाले विद्वानों की सेवायें लीं जाएँगी। उत्तम शास्त्रीय परम्परा के ऐसे सभी विद्वान अपने अधिवासन की अपनी पारंपरिक पद्धति की अखंडता को बनाये रखते हुए ज्ञान अंतरण हेतु पारंपरिक शास्त्रों को अध्ययन कराएँगे। किसी एक विशिष्ट शास्त्र के अध्ययन हेतु पांच अन्तेवासी (आवासीय छात्र) एक गुरु के अधीन कठिन श्रम करेंगे। अधीत शास्त्रीय विद्या का परीक्षण शलाका परीक्षा आदि के माध्यम से किया जायेगा। प्रत्येक विद्वान और छात्र—अन्तेवासी को समुचित मानदेय अथवा छात्रवृत्ति दी जायेगी। इस योजना से पारंपरिक विद्वत्ता और शास्त्र अधिगम प्रणाली को संरक्षित किया जा सकेगा, और गुरुकुल

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

प्रणाली का पुनरुद्धार होगा तथा शास्त्रों को विलुप्त होने से भी बचाया जा सकेगा। शास्त्रों की अधिगम प्रणाली में इससे एक नया अध्याय सन्निहित होगा।

अष्टादशी–संस्कृत के सतत विकास के लिए अट्ठारह परियोजनाएं

संस्कृत के विकास को गति देने के लिए निम्नलिखित अट्ठारह विशेष परियोजनाओं को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। ये सभी परियोजनाएं सीधे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा अकेले ही संचालित की सकती हैं या फिर इन्हें संस्कृत विकास से सम्बद्ध किसी अन्य विख्यात संस्थान या गैर-सरकारी संस्था को दिया जा सकता है। इस योजना के क्रियानावन हेतु युवा अथवा सेवानिवृत्त संस्कृत विद्वानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संविदात्मक अध्यापकों के लिए संस्तुत वेतनमान के नियमों के अनुसार संविदात्मक आधार पर अथवा कार्य आधार पर नियुक्त किया जाये। इस बात का ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक नियुक्त अध्यापक उच्च दक्षता प्राप्त हो अर्थात सरल मानक संस्कृत में धाराप्रवाह और शुद्ध संभाषण की योग्यता रखता हो। अपेक्षित कार्यों की सूची स्पष्ट और सम्बद्ध रूप से निर्धारित हो। इन परियोजनाओं से समिति के विचारणीय मुद्दों में वर्णित उद्देश्यों को हासिल करने के साथ संस्कृत स्नातकों के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

1. ज्ञानात्मक साहित्य अनुवाद परियोजना

विद्यालयी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा से सम्बंधित सभी ज्ञान शाखाओं; कला, विज्ञान, वाणिज्य, तकनिकी और व्यवसायिक आदि में जो भी ज्ञान साहित्य अन्य भाषाओँ में उपलब्ध है उसका संस्कृत में अनुवाद किया जाएगा तथा उसके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसे प्रकाशित किया जाएगा।

2. पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन

14 विभिन्न लिपियों में लिखी गई 45 लाख पांडुलिपियाँ 4000 से ज्यादा पुस्तकालयों में इस समय पड़ी हुई हैं। ऐसा अनुमान है कि एकाधिक प्रतियों और प्रकाशित पांडुलिपियों के अतिरिक्त भी कई लाख पांडुलिपियाँ अप्रकाशित हैं जो न केवल साहित्यिक दृष्टि से अमूल्य हैं अपितु वर्तमान सन्दर्भ और शोध में भी अति उपयोगी हैं। अतः इन पांडुलिपियों को संपादित कर प्रकाशित किया जाना है। पांडुलिपियों के सम्पादन में सिद्धहस्त विदान, जो संस्कृत में भी निष्णात हों, उन्हें प्राप्त करने हेतु यथासंभव अधिक से अधिक संस्थानों में पांडुलिपि सम्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएँ।

3. डिजिटल एवं ऑन-लाईन परियोजना

सभी संस्कृत कृतियों को डिजिटल रूप में अंतरित कर उन्हें नेट पर उपलब्ध कराया जाना है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम जैसे; प्रारंभी पाठ्यक्रम, मध्यवती (इंटरमीडिएट) पाठ्यक्रम, स्नातक एवं परा-स्नातक कार्यक्रम, भाषा पाठ्यक्रम, तथा विभिन्न शास्त्रों एवं काव्यों पर आधारित पाठ्यक्रम भी विकसित किये जाएँ। इस तरह के आवश्यकताधारित सैंकड़ों पाठ्यक्रम विकसित किये जा सकते हैं। इनकी उपलब्धता न केवल सम्पूर्ण विश्व में संस्कृत में रूचि रखने वाले लोगों के लिए ही होगी अपितु सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी समर्थित कक्षाओं के अध्यापक भी इन्हें अपने प्रयोग में ला पाएंगे.

4. ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम परियोजना

संस्कृत व्याकरण, पाणिनि, विभिन्न शास्त्रों तथा दूसरी अन्य संस्कृत रचनाओं के अध्ययन में बड़ी संख्या में लोगों की रूचि है। संस्कृत के छात्र भी संस्कृत के अन्य विषयों के ज्ञान से परिचित होना चाहते हैं।

इस आवश्यकता के अनुरूप गर्मियों की अवकाशावधि के लिए भी उल्लिखित विषयों पर अलग अलग पाठ्यक्रम बनाये जा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक संस्कृत विश्वविद्यालय एक अलग विषय निर्धरित कर सकता है। इन ग्रीष्मकालीन पाठयक्रमों में भाग लेने में अध्यापकों और छात्रों को सुविधा रहेगी।

5. समकालीन साहित्य परियोजना

किसी भी जीवंत भाषा के मानक के रूप में उसके साहित्य में समकालीन समाज के विमर्श और चिंतन का प्रतिरूपण अत्यावश्यक है। हालाँकि समकालीन विषयों पर संस्कृत में पुस्तके प्रकाशित हो रहीं हैं तथापि इस दिशा में अभी और अधिक करने की अपेक्षा बनी हुई है। अतः इस परियोजना के माध्यम से संस्कृत विद्वानों को समकालीन विषयों पर संस्कृत में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। संस्कृत में लिखने और उनके प्रकाशन के लिए उदारता से अनुदान दिया जाये।

6. सांध्यकालीन विद्यालय परियोजना

नियमित छात्र अपने दैनिक पाठ्यक्रमों के साथ अपनी रूचि के अन्य पाठ्यक्रम भी सांध्यकालीन कक्षाओं के माध्यम से कर सकते हैं। जो लोग अपने विद्यालयी अध्ययन के दौरान संस्कृत विषय नहीं पढ़ पाए वे भी अब अपने कार्य के साथ सांध्यकालीन कक्षाओं में इसे पढ़ सकते हैं। इस उभरती आवश्यकता को कम से कम बड़े शहरों में तो संस्कृत के सांध्य स्कूल और सांध्य महाविद्यालयों द्वारा पूरित किया जा सकता है। इससे संस्कृत शिक्षण को बड़ा बल मिलेगा.

7. प्रौद्योगिकी अनुकूलन परियोजना

संस्कृत के प्रयोग सम्बन्धी समुचित फॉंट, एप्प्स, ओसीआर, सॉफ्टवेर, सर्च-खोज, वर्चुअल (आभासीय) कक्षाएं, परीक्षाओं का ऑन-लाईन प्रबंधन, तथा अन्य सम्बद्ध बहुत से प्रौद्योगिकी-प्रसूत मुद्दे हैं जो अब तक इनका समाधान होता आ रहा है, परन्तु नवीन प्रौद्योगिकी के आने से प्रणाली-संवर्धन की भी आवश्यकता है। संस्कृत के विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी के साथ अनुकूलन अनिवार्य है, अतः यह भी संस्तुति है कि संस्कृत को प्रौद्योगिकी के लगातार संवर्धन-सुधार के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अवसर का लाभ उठाना होगा।

8. कम्पूटर शिक्षा परियोजना

यह नियति है कि संस्कृत सर्वाधिक स्वाभाविक अनुकूल भाषा है परन्तु कम्पूटर प्रयोग और संस्कृत बिरादरी में एक बड़ा अलगाव है। प्रौद्योगिकी अनुचालित वर्तमान विश्व में संस्कृत के पिछड़ने का यह भी एक बड़ा कारण है। अतः संस्कृत के अध्यापकों और छात्रों को कम्पूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय उर्दू प्रोत्साहन परिषद् अथवा किसी नए माडल के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जा सकते हैं। और यदि इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु कम्पुटर में अभिरुचि रखने वाले संस्कृत अनुदेशक नियुक्त किये जाते हैं तो वे अधिक प्रभावी होंगे।

9. द्विवार्षिक संस्कृत पुस्तक मेला परियोजना

वर्ष 2011 में बंगलोर में चार-दिवसीय विश्व संस्कृत पुस्तक मेला आयोजित किया गया था जिसमें 154 प्रकाशकों ने भाग लिया। इस मेले में लगभग चार लाख लोग आये और चार लाख रुपये की पुस्कत बिक्री भी हुई। यह एक अनूठा और अप्रत्याशित प्रयोग था। तभी से जनता और विद्यालय प्रबंधकों की यह मांग रही है कि इस प्रकार के मेले प्रत्येक राज्य की राजधानी में होने चाहिए क्योंकि उन्हें संस्कृत

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

की पुस्तकें अपने आस पास उपलब्ध नहीं होती हैं। संस्कृत प्रकाशकों की भी यही मांग है क्योंकि इससे उन्हें पुस्तकों की सही सही मांग का अनुमान हो जाता है। अतः ऐसा किया जाना चाहिए कि किसी एक राज्य की राजधानी में यह मेला संस्कृत स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से हर दो साल की अवधि के अंतराल पर आयोजित हो।

10. जनता तक पहुँच परियोजना

संस्कृत विद्यालयों और कालेजों में छात्रों की संख्या बढाने के लिए उन विद्यालयों और कॉलेजों से अपने अपने छात्र संभावित क्षेत्रों में अल्प-कालीन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु कहा जाये। इसके अलावा उन्हें संस्कृत सम्बन्धी पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मानव संसाधन सहयोग दिया जा सकता है ताकि वे अलग अलग स्थानों पर इन्हें चला सकें और आस-पास के क्षेत्रों के सामान्य विद्यालयों और कॉलेजों में संस्कृत को लोकप्रिय बना सकें।

11. शब्दशाला परियोजना

दैनंदिन और आधुनिक विषयों पर सम्प्रेषण और लेखन के लिए संस्कृत का पयोग तो किया जा रहा है परन्तु संस्कृत में आधुनिक शब्दों की कमी है। सीएसएसटीटी द्वारा गढ़े सभी शब्द संस्कृत से नहीं है। संस्कृत में असंख्य शब्द निर्माण की अबाध योग्यता है परन्तु किसी भी संस्कृत संस्थान और विद्वानों की ओर से सुसंगठित प्रयास करने का श्रम नहीं किया गया, यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार नए गढ़े गए शब्द देश में स्वीकार्य हों तथा सरल मानक संस्कृत की शर्तों पर भी खरा उतरते हों। अतः इस प्रकार से विभिन्न वर्गों के अंतर्गत चिह्नित कार्य को संस्कृत विश्वविद्यालयों और संस्कृत अकादमियों या फिर संस्कृत संस्थानों को सौंपा दिया जाये। प्रत्येक संस्थान भिन्न-भिन्न मातृभाषा समूहों के विद्वानों को नियुक्त करे ताकि इस बहु भाषा दृष्टिकोण की प्रक्रिया से निर्मित शब्द देश भर में स्वीकार्य हो सकें।

12. दुर्लभ पुस्तकों का पुनः प्रकाशन परियोजना

स्वाधीनता पूर्व निर्णय सागर प्रेस जैसे अनेक प्राच्य शोध संस्थान संस्कृत के महत्वपूर्ण और अमूल्य ग्रन्थ पूर्णतया शुद्ध रूप में मुद्रित करते थे। आज उनमें से अधिकांश प्राप्य नहीं हैं। चूँकि वर्तमान परिस्थितियों में इनके पास पुनर्मुद्रण के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं अतः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अथवा सरकारी सहायता संपन्न कोई दूसरा संस्कृत संस्थान एमएचआरडी से वित्तीय सहायता लेकर इन दुर्लभ पुस्तकों का मुद्रण करे तथा उनके सुदीर्घ संरक्षण हेतु डिजिटल रूप भी तैयार करे।

13. आवासीय प्रशिक्षण परियोजना

जिस भाषा का अध्ययन किया जाना हो, उस भाषा को उसी के नितांत वातावरण में सिखाया जाना जाना चाहिए, तभी शिक्षाथी भाषा के चारों कौशलों को स्वाभाविक और सघनता से प्राप्त कर सकता है। कुशल अध्यापको की उपलब्धता के लिए सभी राज्यों में अध्यापकों और छात्रों तथा अध्यापन के स्वयसेवी जनों के लिए अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग अवधि के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने चाहिए.

14. संस्कृत - आधुनिक विषयों की समेकन परियोजना

संस्कृत और आधुनिक विषयों में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले विद्वानों की अल्पता है। इसका एकमात्र समाधान यही है कि संस्कृत के विद्वान आधुनिक विषयों का अध्ययन करें या फिर आधुनिक विषयों के विद्वान संस्कृत का अध्ययन करें। ऐसे स्नातक अथवा परा स्नातकों के लिए अध्येतावृत्ति की व्यवस्था की जाये

जिन्होंने किसी एक ज्ञान शाखा का अध्ययन कर लिया और वे दूसरी ज्ञान शाखा का अध्ययन करने के इच्छुक हैं।

15. इन्टरनेट परियोजना के लिए सहायता

आईआई टी, आई आई एस ई आर, आई आई टी, आई आई एस सी और एसी आई टी ई से अनुमोदित तकनीकी महाविद्यालयों के उन छात्रों के लिए एक ऐसी परियोजना बनाई जाये जो अपने अध्ययन के दौरान किसी संस्कृत संस्थान के किसी प्रोफ़ेसर के अधीन सांस्थानिक प्रशिक्षण का चयन करते हैं। इससे उन्हें कुछ क्रेडिट भी मिलेंगे। और यदि इन छात्रों को कुछ वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है तो संस्कृत साहित्य में अन्तर्निहित ज्ञान के प्रकाशन में इनकी मेधा का प्रयोग हो सकता है। हालाँकि ऐसा लघु स्तर पर होगा परन्तु यह संस्कृत संस्थान में एक पूरी तरह से संस्कृत विद्वानों पर केन्द्रित प्रयास होगा.

16. बाल साहित्य परियोजना

भाषा प्रारम्भिक आयु वर्ग में सिखाई और पढ़ाई जानी चाहिए। आज बाल साहित्य अन्य भाषाओँ में प्रचुर मात्रा में विविधवणी पुस्तकों, चार्टों, सी डी, गीतों, कार्टूनों, फिल्मों, दस्तावेजी फिल्मों और कार्टून पुस्तकों जैसे अमर चित्र कथा तथा एप्पस आदि में में उपलब्ध है। हजारों टेलीविजन चौनेल तथा वेब-पोर्टल भी इस प्रकार की सामग्री प्रदान करते हैं। संस्कृत को भी बाल साहित्य की इस कार्य प्रणाली में अवश्य भाग लेना चाहिए.

17. संस्कृत परियोजना के माध्यम से योग

योग सम्बन्धी साहित्य की भाषा संस्कृत है। अतः संस्कृत के माध्यम से योग और योग के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने के लिए केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। योग सम्बन्धी ग्रन्थों का संस्कृत माध्यम से अनके लोग अध्ययन करना चाहते हैं। अतः ओ एन जी सी सी एस आर की वित्तीय सहायता से संस्कृत प्रोत्साहन न्यास इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन अधिगम शिक्षण सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित केंद्र इस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं और संस्कृत तथा योग के विद्वानों को इन केन्द्रों पर नियुक्त किया जा सकता है।

18. संस्कृत माध्यम से आयुर्वेद

आयुर्वेद की भषा भी संस्कृत ही है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रत्येक मनुष्य को आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत भाषा के माध्यम से आयुर्वेद की कक्षाओं के संचालन कि भी मांग उभर रही है। इन कक्षाओं का उद्देश्य डॉक्टर नहीं अपितु सकारात्मक मनो-मस्तिष्क का निर्माण करना है।

सामान्य संस्तुतियां

हालाँकि समिति ने अलग अलग विभागों के लिए विशिष्ट संस्तुतियां की हैं,परन्तु मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार है–

1. क्योंकि संस्कृत अध्यापन को अधिकाधिक सरल और आकर्षक बनाने पर बल दिया गया अतः इसमें संस्कृत अध्यापकों कि सहभागिता केंद्रीय है। साथ ही उनकी संस्कृत प्रवीणता भी इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू करने की आवश्यकता है। आगामी तीन से चार वर्षों में लगभग पांच लाख संस्कृत अध्यापकों को, एक एक सप्ताह के दो चरणों में प्रशिक्षित करना

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विद्यालयी शिक्षा विभाग इसके लिए एक योजना तैयार कर उसे वर्ष 2016-2017 से एस सी ई आर टी तथा डीआई ई टी (ब्म्ज्, क्प्म्ज्) माध्यम से क्रियान्वित करे। इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य शैक्षिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों की सहयता भी इस कार्य में ली जा सकती है।

2. संस्कृत शिक्षा वर्षम (संस्कृत शिक्षा वर्ष)

इस परिकल्पना एवं क्रियाविधि पत्रक विजन और रोडमैप में जितनी भी संस्तुतियां की गई हैं उनका सम्बन्ध संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण प्रणालियों, मूल्यांकन पद्धति, अग्रणी परियोजनाओं, अध्यापक प्रशिक्षण, तथा नवीन पाठ्यक्रमों आदि को बदलकर संस्कृत शिक्षा का पुनरुद्धार करना है। संस्कृत शिक्षा से सम्बद्ध प्रत्येक हितभागी को इन बिन्दुओं के प्रति विचारशील करने और प्रत्येक संस्कृत अध्यापक को इस कार्य में जोड़ने के लिए यह संस्तुति की जाती है कि वर्ष 2016-2017 को संस्कृत शिक्षा वर्षम के रूप में मनाया जाये। इस वर्ष में न केवल संस्कृत अध्यापक अपने अपने संस्थानों के संस्कृत छात्रग्राही क्षेत्रों में संस्कृत शिक्षण करेंगे अपितु सार्वजनिक रूप से जनता के लिए संस्कृत संभाषण कक्षाओं का आयोजन भी करेंगे। संस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण और संस्कृत शिक्षा को जनप्रिय बनाने हेतु संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं तथा प्रकाशन के साथ अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ भी आयोजित की जाएँगी। भारत सरकार ने वर्ष 2000-2001 को पांच करोड़ बजट के साथ संस्कृत वर्ष की घोषणा की थी। इसी तरह संस्कृत शिक्षा वर्षम भी मनाया जाये जिसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान हो ताकि इस वर्ष संस्कृत के विकास के लिए चिरप्रतीक्षित और भविष्यंभावी उपाय किये जा सकें।

3. संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में आई सी टी

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए) के अंतर्गत सूचना और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आई सी टी) को संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा का एक घटक बनाया जाना चाहिए। इससे संस्कृत छात्रों को अपना आई सी टी कौशल आधार मजबूत करने में मदद मिलेगी जिससे वे कम्पूटर साधित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण कर सकते हैं। इस योजना से विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं अन्य शैक्षिक बाधाओं की पृष्ठभूमी के संस्कृत छात्रों की डिजिटल अक्षमताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। आई सी टी को संस्कृत महाविद्यालयों के स्तर तक भी बढाया जाना चाहिए।

4. इस समिति कि सभी संस्तुतियों को क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक कारयित्री एजेंसी और संस्थान को अतिरिक्त मानव संसाधनों को भी आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को भी योजना के प्रबंधन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा संस्तुत प्रयासों के लिए प्रशासकीय कार्मिकों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण और अध्यापन आदि को भी संचालित करना होगा। एम एच आर डी (डभ्त्क्) इसे प्राथमिकता देकर कार्य सुगम कर सकती है। और जबकि अधिकांश गतिविधियाँ और कार्यक्रम संस्कृत माध्यम से क्रियान्वित करने के साथ संस्थान से भी जनापेक्षा है कि वह कम से कम अपना अधिकाधिक आतंरिक सम्प्रेषण संस्कृत माध्यम से करे, अतः समिति का यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अपने गैर-शिक्षक पदों पर भी यथा संभव संस्कृत स्नातक अथवा परा-स्नातक या संस्कृत में संभाषण योग्यता रखने वाले अभ्यार्थोयों को ही नियुक्त करे। इससे संस्कृत छात्रों के आत्म-विश्वास में आशातीत वृद्धि होगी।

5. संस्कृत विद्वानों का आह्वान

समिति संस्कृत विद्वत् समुदाय से अनुरोध करती हैरू 1) कि वे संस्कृत भाषा का प्रयोग ने केवल कक्षाओं

में ही अधिकाधिक करें अपितु कक्षा के बाहर सभी अवसरों पर सम्प्रेषण में प्रयोग करें, 2) भावात्मक और यथार्थविहीन मांगे न करें (कि संस्कृत को अनिवार्य आदि बना दिया जाना चाहिए), 3) समसामयिक राष्ट्रीय स्तर कि बहसों में संस्कृत आधारित तर्कों सहित सोत्साह प्रतिभाजन, 4) 'भाषा भाषा के माध्यम से और ज्ञान अनुप्रयोग से ' इस संकल्पना पर एक रणनीति के अंतर्गत तथा गंभीर निष्ठा से कार्य करें, (कोई भी भाषा किसी भी भाषा के माध्यम से पढ़ाई जा सकती है और भाषा के सन्दर्भ में केवल सारहीन बातें न कर उस भाषा के प्रयोग से प्राप्त होने वाले ज्ञान की चर्चा करें, (5) संस्कृत को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, क्रीडांगणों, गलियारों अध्यापक विश्राम कक्षों तथा व्यक्तिगत बैठकों में संस्कृत को एक जीवंत समृद्धिशाली भाषा बनायें ।

1. श्री एन गोपालास्वामी
2. प्रो. वी कुटुंब शास्त्री
3. श्री एस रामादोरई
4. डा. बिवेक देबराय
5. श्री वी वी भट्ट
6. डा. एच आर नगेन्द्र
7. प्रो. वेद प्रकाश
8. डा. अनिल सहस्त्रबुद्धे
9. प्रो. परमेश्वर नारायण शास्त्री
10. श्री चमू कृष्ण शास्त्री
11. प्रो. आर देवनाथन
12. प्रो. श्रीनिवास वरखेडी
13. प्रो. रमेश भारद्वाज

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016

फा. संख्या. 1-27/2015-संस्कृत.II

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंतालय

उच्च शिक्षा विभाग

भाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 18.11.2015

आदेश

विषय : संस्कृत विकास के लिए दीर्घावधि विजन एवं रोडमैप–परिकल्पना एवं क्रियाविधि पत्रक सुझाने हेतु समिति का गठन

यह निर्णय लिया गया है कि अगले कुछ वर्षों में संस्कृत विकास के लिए दीर्घावधि विजन एवं रोडमैप परिकल्पना एवं क्रियाविधि पत्रक सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया जाये। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे–

i) श्री एन. गोपालास्वामी, कुलाधिपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	अध्यक्ष
ii) प्रो. वी कुटुम्भ शास्त्री , पूर्व-कुलपति एवं अध्यक्ष आ इ एस एस	सदस्य
iii) डॉ. रामदोरई, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	सदस्य
iv) डॉ. विबेक देवराय, अर्थशास्त्री, सदस्य, नीति आयोग,	सदस्य
v) श्री वी वी भट्ट, आई ए अस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, भारत सरकार	सदस्य
vi) डॉ. एच आर नगेन्द्र, कुलपति, एस व्यास, अध्यक्ष, आयुष कार्य दल	सदस्य
vii) प्रो. वेद प्रकाश, अध्यक्ष यू जी सी	सदस्य
viii) डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष ए आई सी टी ई	सदस्य
ix) कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	सदस्य
x) श्री चमू कृष्ण शास्त्री, वरिष्ठ परामर्शदाता–भाषा	सदस्य
xi) प्रो. आर देवनाथन, पूर्व कुलपति, आई आर एस यु राजस्थान एवं प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जम्मू परिसर	सदस्य
xii) प्रो. श्रीनिवास वरखेडी, कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय	सदस्य
xiii) प्रो. रमेश भारद्वाज, प्रमुख हिंदी विभाग	सदस्य

समिति के समस्त विचारार्थ विषयों का विवरण इस प्रकार होगा–

i. संस्कृत और वेद विद्या के लिए वर्तमान में संचालित योजनाओं का मूल्यांकन और संवीक्षा

ii. विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में संस्कृत शिक्षा की स्थिति का अध्ययन और उसमें गुणात्मक सुधार के लिए उपाय सुझाना.

iii. अगले दस वर्षों में संस्कृत के विकास हेतु विजन एवं कार्य योजना के सुझाव देना

iv. संस्कृत को भौतिकी, रासायनिकी, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान तथा विधि आदि के साथ समेकन हेतु उपाय सुझाना

अ. आधुनिक साधनों एवं नई प्रोद्योगिकियों की सहायता से संस्कृत शिक्षा प्रदान करने हेतु उपाय सुझाना

समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप देगी.

इस समिति का गठन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित है।

(सुखबीर सिंह संधू)
संयुक्त सचिव भारत सरकार

प्रति सेवार्थ–

1. श्री एन गोपालास्वामी, कुलाधिपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, तिरुपति
2. समिति के अन्य सदस्य
3. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव
4. सचिव (उच्च शिक्षा) के निजी सचिव

graphic world/sanskrit ka vikas/ist proof/9-12-2016